

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013—ज्येष्ठ 24, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. ई-5-864-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, आयएएस., आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को दिनांक 23 मई से 6 जून 2013 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस., अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 13 से 20 जून 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-771-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 मई 2013 एवं 8, 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की अवकाश अवधि में श्रीमती शिल्पा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर (विकास), खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिल्पा, कलेक्टर, जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-701-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएस., सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग, भोपाल को 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 जून 2013 एवं 15, 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओमेश मूंदड़ा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ओमेश मूंदड़ा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओमेश मूंदड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-817-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-825-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएस., (2006), कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 27 मई से 10 जून 2013 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 25 एवं 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में श्री आनंद जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आनंद जैन कलेक्टर जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

क्र. एफ 1-5-1992-सात-9(नजूल).—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 33 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (डी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम (2) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची से कालम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि सीमा (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन

सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	नगर बस्ती समूह (3)
1.	श्रीमती इंदिरा शर्मा, अपर कलेक्टर एवं जिला भू-प्रबंधन अधिकारी	उज्जैन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ-02-(व)01-2013-तीन-जेल.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जेल मैनुअल के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल डबरा, जिला मुरैना के लिये श्री विजय श्रीवास्तव पिता स्व. श्री रामभरोसे श्रीवास्तव, गुरूद्वारा रोड, जवाहरगंज, डबरा, जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ-1(ए)147-1990-ब-2-दो.—श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 मई से 18 जून 2013 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (आसूचना-गुप्तवार्ता), विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 253-1988-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु., भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, 11,12,18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2) राज्य शासन द्वारा दिनांक 13 मई 2013 को "परशुराम जयंती" पर स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने के कारण डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 13 मई 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ-1(ए)06-2001-ब-2-दो.—श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन सेवाएं, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 16 से 24 अप्रैल 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. कंवर भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवाएं, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 19), राज्य शासन, सुश्री शालू सिरोही पिता श्री यू. बी. एस. सिरोही को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य

आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है। उसकी जन्मतिथि 04 दिसम्बर, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 30), राज्य शासन, श्री निशान्त गर्ग पिता श्री सत्यपाल गर्ग को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देहली है। उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1986 है।

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 52), राज्य शासन, श्री प्रेमदीप सांकला पिता श्री रमेशचन्द्र सांकला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर है। उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1981 है।

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 65), राज्य शासन, श्री विष्णुप्रसाद सोलंकी पिता श्री बाबूलाल सोलंकी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास है। उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर, 1975 है।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2013

फा. क्र. 1(सी)-09-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले के सत्र खण्ड के सत्र न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त लोक अभियोजक/मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम अतिरिक्त लोक अभियोजक को "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,

2012" के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय में अधिनियम की धारा 32(1) के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

फा. क्र. 3(सी)-8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(सी) 8-86-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 18 अप्रैल 2013 को निरस्त करते हुए श्री जी. के. शर्मा, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद (Honorary) पर बिना किसी वेतन भत्ते के एक वर्ष या नवीन नियुक्ति जो पहले हो तक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

क्र. एफ-6-7-2011-अट्टावन.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत केला फसल वर्ष 2013-14 के लिये संलग्न सूची अनुसार मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसील स्तर पर राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसीलें

फसल-केला

स. क्र.	जिला	तहसीलें
(1)	(2)	(3)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर खकनार नेपानगर

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. एफ-11-15-2012-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-15-2012-तीस, दिनांक 16 जनवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी. वह राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2013 को प्रकाशित हो चुकी है.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 2671, दिनांक 10 अक्टूबर 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन को उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	भोपाल	हुजूर	नगर निगम कार्या. सदर मंजिल के सामने.	मोती महल	1841/1328 ग्राम शहर भोपाल	रकबा 1.10 एकड़	नगर निगम के कब्जे में.	नहीं है.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

क्र. एफ-12-18-2012-बी-1-दो.—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य के कुछ परिलक्षित क्षेत्रों में जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावनाएं अधिक हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के अपराधों का निवारण किया जाए;

अतएव, इन क्षेत्रों में अत्याचारों का निवारण करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट ग्रामों, वार्ड/नगरों के क्षेत्रों उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिये अधिसूचित करती है:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	पुलिस थाना (3)	ग्राम वार्ड/नगर (4)
01	श्योपुर	कराहल	ग्राम कराहल
02	रायसेन	कोतवाली	पटेल नगर
03	रायसेन	बेगमगंज	हरदाईपुरा
04	रायसेन	मण्डीदीप	राहुल नगर
05	बैतूल	कोतवाली	सदर
06	बैतूल	सारणी	पाथाखेड़ा
07	सागर	रहली	छिरारी
08	सागर	शाहगढ़	नरवा
09	राजगढ़	कोतवाली	करेडी
10	राजगढ़	ब्यावरा	चमारी
11	राजगढ़	सारंगपुर	पाडलियामाता
12	राजगढ़	जीरापुर	धतरावदा
13	राजगढ़	माचलपुर	भगोरा
14	राजगढ़	मलावर	आगर
15	हरदा	कोतवाली	सुभाषवार्ड
16	विदिशा	कोतवाली	मोहन गिरी
17	विदिशा	कोतवाली	लोहांगीपुरा
18	भिण्ड	देहात	महावीर नगर, बी.टी.आई. रोड

No. F-12-18-2012-B-1-Two.—WHEREAS, the State Government considers it necessary to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in such identified areas of the State where there are much possibilities of atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes members;

NOW, THEREFORE, with a view to prevent atrocities in these area and to ensure protection and safety of members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes under the law made by Central Government and in order to ensure effective implementation of provisions of clause (vii) of sub-section (2) of Section 21 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government hereby, notify the Police Stations Specified in column (3) for the area of village, ward/town specified in column (4) for the District specified in column (2) of the Schedule given below for the above mentioned purpose under the said Act and rules made thereunder:—

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Police Station (3)	Village, Ward/Towns (4)
01	Shyampur	Karahal	Gram Karahal
02	Raisen	Kotwali	Patel Nagar
03	Raisen	Begamganj	Hardaipura
04	Raisen	Mandideep	Rahul Nagar
05	Baitul	Kotwali	Sadar
06	Baitul	Sarni	Pathakheda
07	Sagar	Rehali	Chhirari
08	Sagar	Shahgarh	Narwa
09	Rajgarh	Kotwali	Karedi
10	Rajgarh	Byawra	Chamari
11	Rajgarh	Sarangpur	Padaliyamata
12	Rajgarh	Jirapur	Dhatrawda
13	Rajgarh	Machalpur	Bhagora
14	Rajgarh	Malaver	Agar
15	Harda	Kotwali	Subhash Ward
16	Vidisha	Kotwali	Mohangiri
17	Vidisha	Kotwali	Lehangipura
18	Bhind	Dehat	Mahaveer Nagar, BTI Road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

(क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात् :-

सारणी

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार (हेक्टेयर में)	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अमलियापानी डिस्ट्रीब्यूटरी	05	1483.352	01
2	अमलियापानी डिस्ट्रीब्यूटरी	04	1101.531	01
3	भागसुर माईनर 1 एवं 2 रानीपुरा माईनर, मोरानी माईनर	05	1329.769	01
4	सिनगुन डिस्ट्रीब्यूटरी	05	1019.171	01
5	सिनगुन माईनर	05	788.432	01
6	दमदमी डिस्ट्रीब्यूटरी	04	1609.837	01
7	नरावाला माईनर 1 एवं 2	08	1446.989	01
8	राजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी	08	2027.660	01
9	पिपरी डिस्ट्रीब्यूटरी	09	2227.812	01
10	पिपरी डिस्ट्रीब्यूटरी	05	725.447	01
योग .		58	13760	10

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

क्र. एफ-44-8-2013-बीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा “केन्द्र प्रवर्तित—शिक्षक शिक्षा योजना” अंतर्गत वर्ष 2012-13 से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं का उन्नयन किया जाता है, उन्नयन पश्चात् संस्थाओं के नाम निम्नानुसार होंगे:—

स.क्र.	वर्तमान संस्था	उन्नयन पश्चात् परिवर्तित नाम
(1)	(2)	(3)
1	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर.
2	जिला स्रोत केन्द्र, हरदा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदा.
3	जिला स्रोत केन्द्र, श्योपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्योपुर.
4	जिला स्रोत केन्द्र, उमरिया	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उमरिया.

2. उक्त संस्थाओं के उन्नयन की स्वीकृति भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के टीचर एजुकेशन एग्जल बोर्ड (T. E.A.B.) की बैठक दिनांक 15 अक्टूबर 2012 के अनुमोदन के क्रम में प्रदान की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. डाबर, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र. एफ-25-58-2003-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-17-2010-दस-2, भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-15-1-2011-दस-2, दिनांक 7 फरवरी 2011 से सामान्य वनमण्डल उत्तर शहडोल के 6114.980 हे. क्षेत्र को बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व एवं 6286.310 हे. क्षेत्र को संजय टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-58-2003-दस-3, भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2003 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल उत्तर शहडोल के सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	सम्मिलित परिक्षेत्रों एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	शहडोल	शहडोल	उत्तर शहडोल (शहडोल)	ब्यौहारी (ब्यौहारी)	511.066	1. पूर्व ब्यौहारी (ब्यौहारी) 2. पश्चिम ब्यौहारी (ब्यौहारी) 3. गोदावल (ब्यौहारी)	उत्तर—सोन नदी. पूर्व—बनास नदी एवं संजय टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधिसूचित सीमा. दक्षिण—उपवनमंडल जयसिंहनगर की सीमा.	उत्तर—सोन नदी. पूर्व—बनास नदी एवं संजय टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधिसूचित सीमा तथा चूंदी नदी. दक्षिण—चूंदी नदी एवं दक्षिण शहडोल वनमंडल की सीमा.
				जयसिंहनगर (जयसिंहनगर)	523.475	1. जयसिंहनगर (जयसिंहनगर) 2. अमझोर (जयसिंहनगर)	उत्तर—उपवनमंडल ब्यौहारी की सीमा. पूर्व—बनास नदी एवं संजय टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधिसूचित सीमा. दक्षिण—चूंदी नदी. पश्चिम—सोन नदी.	पश्चिम—सोन नदी एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधिसूचित सीमा.

योग . .1034.541

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र. एफ-25-58-2003-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-58-2003-दस-3, दिनांक 5 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal the 5th June 2013

No. F 25-58-2003-X-3.—Vide Govt. of Madhya Pradesh Forest Department Notification No. F-15-17-2010-X-2, Bhopal Dated 27th October 2010 & F-15-01-2011-X-2, Dated 7th February 2011, 6114.980 ha. forest area of North Shahdol (T) Forest Division has been included in Buffer Zone of Bandhavgarh Tiger Reserve and 6286.310 ha. Forest

area has been included in Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve. Due to above changes the boundary/management area of North Shahdol (T) Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. F-25-58-2003-X-3, Bhopal Dated 23rd September 2003 of Govt. of Madhya Pradesh Forest Department as under :—

S. No.	Name of Circle	Name of District	Name of Forest Division (Head-quarter)	Name of Forest Sub-Division (Head-quarter)	Area (Sq. Km.)	Name of Ranges & Depot (Head-quarter)	Details of Forest Sub-Division boundary.	Details of Forest Division boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Shahdol	Shahdol	North Shahdol (Shahdol)	Beohari (Beohari)	511.066	1. East Beohari (Beohari) 2. West Beohari (Beohari) 3. Godawal (Beohari) 4. Depot (Beohari) (Beohari)	North —Sone River. East —Banias River and Notified Boundary of Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve. South —Boundary of Forest Sub division Jaisinghnagar. West —Sone River and Notified Boundary of Buffer Zone of Bandhavgarh Tiger Reserve.	North —Sone River East —Banias River & Notified Boundary of Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve and Chundi River. South —Chundi River and Boundary of South Shahdol Forest Division. West —Sone River & Notified Boundary of Buffer Zone of Bandhavgarh Tiger Reserve.
			Jaisinghnagar (Jaisinghnagar)		523.475	1. Jaisinghnagar (Jaisinghnagar) 2. Amjhor (Jaisinghnagar)	North —Boundary of Forest Sub division Beohari. East —Banias River and Notified Bounadary of Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve. South —Chundi River. West —Sone River.	
			Total . .		1034.541			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASANT KUMAR, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग “निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

क्र. एफ. 67-164-10-तीन-536.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-“क” के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया

हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री आलोक चतुर्वेदी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र न.नि.-व्यय लेखा-10-406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आलोक चतुर्वेदी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री आलोक चतुर्वेदी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 11 मई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री आलोक चतुर्वेदी को नोटिस दिनांक 11 मई, 2010 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 26 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय लेख/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये. कलेक्टर टीकमगढ़ से तामिली पश्चात की जानकारी चाहे जाने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ ने पत्र दिनांक 13 जनवरी 2012 में लेख किया कि—श्री आलोक चतुर्वेदी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामिली के पश्चात् उनके द्वारा इस कार्यालय में किसी भी प्रकार का निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कलेक्टर टीकमगढ़ से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 14 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए. सुनवाई में अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने विलंब का कारण स्वयं की अस्वस्थता बतलाया एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया.

विचारोपरांत पाया गया कि—अभ्यर्थी को व्यय लेखा 14 जनवरी, 2010 तक प्रस्तुत करना था, परन्तु नहीं किया गया न ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिया गया. व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस प्राप्त होने पर

आयोग में प्रमाण-पत्र दो वर्ष बाद दिया गया जो विश्वसनीय नहीं है. व्यय लेखा फिर भी नहीं दिया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आलोक चतुर्वेदी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. मण्डी निर्वा.-13-1237.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति लोहादा के लिये माननीय श्री चम्पालाल देवडा, विधायक, बागली, सदस्य मध्यप्रदेश विधान सभा (क्षेत्र क्रं. 174) की ओर से श्री बंशीलाल जी भूतडा पिता स्व. श्री गंगा विशन भूतडा, निवासी लोहादा, तह. कन्नौद, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

महेश अग्रवाल, कलेक्टर.

राज्य कृषक आयोग

26, किसान भवन, चतुर्थ तल, अरेरा हिल्स,

जेल रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

परिपत्र

क्र. रा.कृ.आ.-2013.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्र.-डी-17-27-2004-चौदह-3, दिनांक 07 मई 2013 के तहत मेरे द्वारा दिनांक 22 मई 2013 को पूर्वान्ह में अध्यक्ष, राज्य कृषक आयोग के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है. राज्य कृषक आयोग से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार अधोलिखित हस्ताक्षरकर्ता को संबंधित करते हुए, कार्यालयीन-26, किसान भवन, चतुर्थ तल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल-462004 व आवास-मु.पो.-तिल्लौर खुर्द, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्यप्रदेश के पते पर प्रेषित करने का कष्ट करें.

कैलाश पाटीदार, अध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 24 मई 2013

क्र. . 2013.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-1193-सात-समन्वय, दिनांक 19 अप्रैल, 1999 में दिए गए निर्देशानुसार मैं सी. बी. सिंह, जिलाध्यक्ष धार, जिला धार में बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (3) के अंतर्गत जिला धार के जिला सतर्कता समिति एवं अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समितियों का श्रमिकों के पहचान एवं उनके पुनर्वास हेतु निम्नानुसार सतर्कता समितियों का गठन करता हूँ:—

अनुसूची

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, धार

जिला धार (मध्यप्रदेश)

धारा—13 (2):—

1. जिला दण्डाधिकारी, धार, जिला धार, म. प्र. अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, धार, जिला धार, म. प्र. सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार, सदस्य जिला धार, म. प्र.
4. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण सदस्य विभाग, धार, जिला धार, म. प्र.
5. श्रम पदाधिकारी, जिला कार्यालय, धार, सदस्य जिला धार, म. प्र.
6. श्रीमती सरजूबाई सोलंकी, उपाध्यक्ष (जिला सदस्य पंचायत सदस्य), तह. गंधवानी, जिला धार म. प्र.
7. श्री महेश मालवीय (जिला पंचायत सदस्य) सदस्य ग्राम व पो. बिल्लौदा, तह. व जिला धार, म. प्र.
8. श्री निरंजन डाबर, (जिला पंचायत सदस्य), सदस्य ग्राम लोणी, पो. जाटपुर, तह. मनावर, जिला धार, म. प्र.
9. श्री विवेक नारायण पिता श्री शेषनारायण सदस्य (सामाजिक कार्यकर्ता), निवासी एल.आय.जी. कॉलोनी धार, जिला धार, म. प्र.
10. श्री पंकज पिता मनोहरलाल जैन, (सामाजिक सदस्य कार्यकर्ता), निवासी, 74, महावीर मार्ग, बनियावाडी धार, जिला धार, म. प्र.
11. प्रबंधक, लीड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धार, सदस्य जिला धार, म. प्र.

अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समितियों

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

धार जिला धार (मध्यप्रदेश)

धारा—13 (3):—

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग धार, अध्यक्ष जिला धार, म. प्र.
2. नगर पुलिस अधीक्षक, धार, जिला धार, म. प्र. सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सदस्य धार, तिरला, नालछा.
4. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत सदस्य धार, तिरला, नालछा.
5. श्री लक्ष्मणसिंह, निवासी तिरला तह. व जिला सदस्य धार.
6. श्री बालाराम निनामा, निवासी धार, जिला धार सदस्य म. प्र.
7. श्रीमती मीना राजु डामोर, निवासी रामनगर सदस्य धार, जिला धार, (अ.ज.जा.).
8. श्री राजकुमार जाट, निवासी घाटाबिल्लौद धार, सदस्य जिला धार, म. प्र.
9. श्री श्याम नायक, निवासी ब्रम्हाकुण्डी धार, सदस्य जिला धार, म. प्र.
10. श्रीमती फूलवती सूर्यवंशी, निवासी ग्राम बगदून सदस्य इण्डोरामा चौराहा, तह. व जिला धार, म. प्र.
11. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सदस्य विभाग, धार, जि. धार, म. प्र.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

बदनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश)

धारा—13 (3):—

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अध्यक्ष बदनावर, जिला धार, म. प्र.
2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बदनावर सदस्य जिला धार, म. प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सदस्य बदनावर जिला धार, म. प्र.
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बदनावर, सदस्य जिला धार, म. प्र.
5. श्री भंवरलाल पिता भेराजी मंडलोई निवासी सदस्य छौखुर्द पो. कानवन तह. बदनावर जिला धार, म. प्र.
6. श्री सुखराम पिता पुनाजी निवासी देवदापाड़ा सदस्य (खरडिया) पो. भैसोला तह. बदनावर जिला धार म. प्र.
7. श्रीमती रेखाबाई पति राधेश्याम निवासी नवापाड़ा सदस्य (छायन) तहसील बदनावर जिला धार, म. प्र.

- | | | | | | |
|-----|---|-------|----|---|-------|
| 8. | श्री राजेन्द्र सराफ पिता समरथमल सराफ नि. जवाहर मार्ग बदनावर तहसील बदनावर जिला धार, म. प्र. | सदस्य | 3. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुक्षी, बाग, डही एवं निसरपुर जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 9. | श्री मोहनसिंह पिता नारायणसिंह चौहान निवासी 10, मुखर्जी मार्ग (सामाजिक कार्यकर्ता) बदनावर जिला धार म. प्र. | सदस्य | 4. | विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुक्षी, बाग, डही एवं निसरपुर जि. धार म. प्र. | सदस्य |
| 10. | प्रबंधक, लीड बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा बदनावर जि. धार म. प्र. | सदस्य | 5. | श्री रामसिंह धारवा, एडव्होकेट कुक्षी जि. धार म. प्र. | सदस्य |
| 11. | परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बदनावर, जिला धार, म. प्र. | सदस्य | 6. | श्री सरदारसिंह चौहान, एडव्होकेट कुक्षी जिला धार म. प्र. | सदस्य |

**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
सरदारपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश)**

धारा—13 (3):—

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सरदारपुर, जिला धार, म. प्र. | अध्यक्ष |
| 2. | अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरदारपुर जि. धार म. प्र. | सदस्य |
| 3. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सरदारपुर, जि. धार म. प्र. | सदस्य |
| 4. | विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सरदारपुर, जि. धार म. प्र. | सदस्य |
| 5. | श्री राजाराम बुद्धा (से. नि. पटवारी) अमझेरा, तह. सरदारपुर जि. धार म. प्र. | सदस्य |
| 6. | श्री धर्मेन्द्र पिता जवरचंद मंडलोई, पटेल कालोनी सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 7. | श्री गणपतसिंह पटेल, ग्रा. बिछिया पो. बडोदिया तह. सरदारपुर, जि. धार म. प्र. | सदस्य |
| 8. | श्री मोहन पिता गोपाल यादव (पत्रकार) गोपाल कॉलोनी सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 9. | श्री प्रमोदराज पिता सरलकुमार जैन (वकील) सरदारपुर, तहसील सरदारपुर जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 10. | प्रबंधक, लीड बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा राजगढ़-सरदारपुर तहसील सरदारपुर जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 11. | परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार म. प्र. | सदस्य |

**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
कुक्षी, जिला धार (मध्यप्रदेश)**

धारा—13 (3):—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कुक्षी, जिला धार, म. प्र. | अध्यक्ष |
| 2. | अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुक्षी जि. धार म. प्र. | सदस्य |

**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश)**

धारा—13 (3):—

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार, म. प्र. | अध्यक्ष |
| 2. | अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनावर, गंधवानी, एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 3. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 4. | विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जि. धार मं. प्र. | सदस्य |
| 5. | श्रीमती किरण पति दिलीप गोयल (अ.जा.) ग्रा. व पो. अजंदा तहसील मनावर जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 6. | श्री केदारसिंह पिता किशनसिंह जामोद (अ.ज.जा.) ग्राम रोजाबयड़ा पो. जीराबाद तह. गंधवानी जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 7. | श्री महेन्द्रसिंह पिता राजाराम अचाले (अ.ज.जा.) ग्राम तारापुर (लालमाटिया) पो. तारापुर तह. धरमपुरी जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 8. | श्री राजेश पिता उंकार पटेल (सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी पाटीदार मोहल्ला, मनावर तह. मनावर जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 9. | श्री दिनेश पिता जगन्नाथ जौहरी (अ.पि.वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी पटेल कॉलोनी, मनावर तह. मनावर जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 10. | प्रबंधक, लीड बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र. | सदस्य |
| 11. | तहसीलदार, मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र. | सदस्य |

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

क्र. ई-1-137-2013-5-एक.—श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998), कलेक्टर, जिला भोपाल की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर 05 वर्ष की नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. ई-5-525-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 10 से 13 जून 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2013

क्र. ई-1-146-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एस. एन. मिश्रा (1990), सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	-

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएएस., आयुक्त पुनर्वास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई 2013 द्वारा दिनांक 20 मई 2013 से 1 जून 2013 तक, तेरह दिन अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 मई 2013 एवं 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 31 मई से 3 जून 2013 तक, चार दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-739-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस, तत्का. प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री शोभित जैन (2000), अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.	-
3	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव (2001), कलेक्टर, भिण्ड.	अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर एवं चंबल संभाग.	-
4	श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव (2002), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	कलेक्टर, हरदा	-
5	श्री निशांत वरबड़े (2003), उप सचिव, मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, म. प्र. जल निगम मर्या. (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, भोपाल	-
6	श्री रघुराज एम. आर. (2004), कलेक्टर, टीकमगढ़.	कलेक्टर, डिण्डोरी	-
7	श्री सुदाम पंडरीनाथ खांडे (2006), कलेक्टर, हरदा.	कलेक्टर, टीकमगढ़	-
8	श्री नागरगोजे मदान विभीषण (2007), कलेक्टर, डिण्डोरी.	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
9	श्री सीबी चक्रवर्ती एम. (2008), अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.	कलेक्टर, भिण्ड	-
10	श्री तरूण कुमार पिथोड़े (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), खण्डवा.	अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
11	श्री अमित तोमर (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), उमरिया.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), खण्डवा.	-

(2) श्री बी. पी. सिंह, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग को प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. पी. एस. परिहार, भा. प्र. से. (1986), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन केवल प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री निशांत वरबड़े, भा. प्र. से. (2003) द्वारा कलेक्टर, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1998), कलेक्टर, भोपाल केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये कार्यमुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ 6-4-2008-54-2.—राज्य शासन एतद्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति का गठन करता है :—

- | | | |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन | अध्यक्ष |
| 2. | अल्पसंख्यक बाहुल्य संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद
श्रीमती सुमित्रा महाजन, मान. सांसद-इन्दौर. | सदस्य |
| 3. | अल्पसंख्यक बाहुल्य संसदीय क्षेत्र के वर्तमान विधायक
श्री रमेश सक्सेना, मान. विधायक-सीहोर. | सदस्य |
| 4. | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग | सदस्य |
| 5. | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग | सदस्य |
| 6. | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं विकास विभाग | सदस्य |
| 7. | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक
न्याय विभाग. | सदस्य |
| 8. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | सदस्य |
| 9. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग | सदस्य |
| 10. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 11. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सदस्य |
| 12. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग | सदस्य |
| 13. | आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश | सदस्य |
| 14. | प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त एवं विकास निगम, म. प्र. | सदस्य |
| 15. | पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि / (जि. पं. अध्यक्ष एवं जि. पं. सदस्य) (3 सदस्य)
(1) श्री अरूण पाटिल, सदस्य जि. पं. बुरहानपुर, अम्बाड़ा, बुरहानपुर
(2) श्रीमती भागवती पत्नी श्री दिनेश पाटीदार जिला पंचायत, सीहोर, ग्राम पंचायत झरखेड़ा,
तह. श्यामपुर, जिला सीहोर.
(3) श्रीमती कल्पना मीना पत्नी श्री विष्णु मीना, सदस्य, जिला पंचायत, भोपाल,
टी. पी.-2 इण्डम टाउन फेस-1, होशंगाबाद रोड, भोपाल. | सदस्य
सदस्य
सदस्य |
| 16. | अशासकीय अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधि (3 सदस्य)
(1) श्री अजहर उलहक,
अध्यक्ष, आंचल कल्याणकारी सेवा समिति मण्डल, शाप नं. 1, खान काम्पलेक्स, सनवारा रोड,
बुरहानपुर (म. प्र.).
(2) डॉ. अकील राज अध्यक्ष समर्पण केयर अवेयरनेस एवं रिहेबिलिटेशन सेन्टर, 8 नारायण बाग,
इन्दौर. (ब्रांच आफिस ए-32 अल्कापुरी, रतलाम)
(3) डॉ. सलीम खान आत्मज जनाब अहमद नूर खान अध्यक्ष
मानव विकास एवं कला प्रशिक्षण समिति, 24 वार्ड नं. 9, कुरवाई, जिला विदिशा, म. प्र. | सदस्य
सदस्य
सदस्य |
| 17. | अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि (3 सदस्य) (अल्पसंख्यक के अतिरिक्त)
(1) श्री प्रतुल श्रीवास्तव, गुंजन कला सदन,
473 टीचर्स कालोनी, दीक्षितपुरा, जबलपुर (म. प्र.).
(2) श्री विनय अग्रवाल पिता श्री पी. सी. अग्रवाल, सदस्य, ज्ञान लक्ष्मी वेलफेयर सोसायटी
77 कांतिनगर, तानसेन रोड, ग्वालियर (म. प्र.)
(3) श्रीमती गायत्री पाटीदार, पत्नी श्री परमानंद पाटीदार, अध्यक्ष, वृक्ष जन कल्याण समिति
ग्राम सलैया, पो. बाबड़िया कला, जिला भोपाल (म. प्र.). | सदस्य
सदस्य
सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-11-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : पुष्पराजगढ़

जिला : अनूपपुर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—खाटी	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	2. नवीन ग्राम—ददराटोला प.ह.नं. 49.	(नियमित) जिला अनूपपुर.
2.	1. मूल ग्राम—सरईपतेरा	
	2. नवीन ग्राम—भैंसानटोला प.ह.नं. 31.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-11-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-11-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-11-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by

the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Pushprajgarh

District : Anuppur

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Khati	Superintendent of Land
	2. New Vill.—Dadratola P.H.No.—49.	Records (permanent), District—Anuppur.
2.	1. Org. Vill.—Saraipatera	
	2. New Vill.—Bhainsantola P.H.No.—31.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-12-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : भाण्डेर

जिला : दतिया

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—ततारपुर	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	2. नवीन ग्राम—पट्टीततारपुर	(नियमित)
	3. नवीन ग्राम—पथरया ततारपुर प.ह.नं. 56.	जिला दतिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र.एफ 15-12-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-12-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-12-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Bhandar

District : Datia

S. No. Name of original village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Tatarpur	Superintendent of Land
	2. New Vill.—Patti Tatarpur	Records (permanent),
	3. New Vill.—PatharyaTatarpur	District—Datia.
	P.H.No.—56.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-15-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : गाडरवाड़ा

जिला : नरसिंहपुर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—पलोहाबड़ा	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	2. नवीन ग्राम—काटजूनगर	(नियमित)
	प.ह.नं. 108.	जिला नरसिंहपुर.
2.	1. मूल ग्राम—नरवारा	
	2. नवीन ग्राम—कीरखेड़ा	
	प.ह.नं. 113/2.	
3.	1. मूल ग्राम—खामघाट	
	2. नवीन ग्राम—सतधारा टोला	
	प.ह.नं. 144.	

(1) (2) (3)

4. 1. मूल ग्राम—धमेटा
2. नवीन ग्राम—कछार टोला
प.ह.नं. 170.
5. 1. मूल ग्राम—पनागर
2. नवीन ग्राम—ढानाटोला
प.ह.नं. 39/43.
6. 1. मूल ग्राम—चांदनखेड़ा
2. नवीन ग्राम—घोघरा टोला
प.ह.नं. 87/62.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-15-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-15-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-15-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Gadarwadass

District : Narsinhpur

S. No. Name of original Village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Paloha Bada	Superintendent of Land
	2. New Vill.—Katju Nagar	Records (permanent),
	P.H.No.—108.	District—Narsinhpur.
2.	1. Org. Vill.—Narwara	
	2. New Vill.—Keerkheda	
	P.H.No.—113/2.	
3.	1. Org. Vill.—Khamghat	
	2. New Vill.—Satdhara Tola	
	P.H.No.—144.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4.	1. Org. Vill.—Dhameta 2. New Vill.—Kachhar Tola P.H.No.—170.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Narsinhpur.	तहसील : सोनकच्छ		जिला : देवास
5.	1. Org. Vill.—Panagar 2. New Vill.—Dhana Tola P.H.No.—39/43.		5.	1. मूल ग्राम—खुटखेड़ा 2. नवीन ग्राम—मलपुरा प.ह.नं. 10.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला देवास.
6.	1. Org. Vill.—Chandan Kheda 2. New Vill.—Ghoghra Tola P.H.No.—87/62.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		
			भोपाल, दिनांक 10 जून 2013		

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-16-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : सतवासा जिला : देवास

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—भण्डारिया 2. नवीन ग्राम—टांडी प.ह.नं. 42.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला देवास.
2.	1. मूल ग्राम—गाढ़ागांव 2. नवीन ग्राम—बोर कुण्डिया प.ह.नं. 39.	
3.	1. मूल ग्राम—बाईजगवाड़ा 2. नवीन ग्राम—भाटबर्डी प.ह.नं. 45.	
4.	1. मूल ग्राम—गोदना 2. नवीन ग्राम—गोदना पठार प.ह.नं. 19.	

क्र. एफ 15-16-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-16-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-16-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue Village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Satwasa		District : Dewas
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Bhandariya 2. New Vill.—Tandi P.H.No.—42.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dewas..
2.	1. Org. Vill.—Gadhagaon 2. New Vill.—Bor Kundiya P.H.No.—39.	
3.	1. Org. Vill.—Baijagwada 2. New Vill.—Bhatwardi P.H.No.—45.	
4.	1. Org. Vill.—Godana 2. New Vill.—Godana Pathar P.H.No.—19.	

(1)	(2)	(3)
Tahsil : Soncachha		District : Dewas
5. 1. Org. Vill.—Khoodkheda	Superintendent of Land	
2. New Vill.—Malpura	Records (permanent),	
P.H.No.—10.	District—Dewas.	
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.		

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-18-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : हुजूर

जिला : भोपाल

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—कानासैया 2. नवीन ग्राम—अनंतपुरा 3. नवीन ग्राम—शांतिनगर प.ह.नं. 20.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला भोपाल.
2.	1. मूल ग्राम—पुरा छिन्दवाड़ा 2. नवीन ग्राम—शेखपुरा प.ह.नं. 1.	
3.	1. मूल ग्राम—बालमपुर 2. नवीन ग्राम—देहरी प.ह.नं. 17.	
4.	1. मूल ग्राम—नरोन्हा सांकल 2. नवीन ग्राम—पडरिया सांकल प.ह.नं. 22.	
5.	1. मूल ग्राम—आदमपुर छावनी 2. नवीन ग्राम—छावनी पठार 3. नवीन ग्राम—हरीपुरा (अर्जुन नगर) प.ह.नं. 21.	
6.	1. मूल ग्राम—परवलिया सड़क 2. नवीन ग्राम—शाहपुरा प.ह.नं. 3.	
7.	1. मूल ग्राम—अगरिया 2. नवीन ग्राम—छापर प.ह.नं. 13.	

(1)	(2)	(3)
8.	1. मूल ग्राम—इस्लामनगर 2. नवीन ग्राम—मस्तीपुरा प.ह.नं. 12.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला भोपाल.
9.	1. मूल ग्राम—तूमड़ा 2. नवीन ग्राम—पाटनिया 3. नवीन ग्राम—अय्यापुर 4. नवीन ग्राम—राजीव नगर प.ह.नं. 36.	

तहसील : बैरसिया

जिला : भोपाल

10.	1. मूल ग्राम—ललोई 2. नवीन ग्राम—उंची ललोई प.ह.नं. 30.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला भोपाल.
11.	1. मूल ग्राम—जमूसरखुर्द 2. नवीन ग्राम—लालूखेड़ी प.ह.नं. 14.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-18-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-18-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-18-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Hujur

District : Bhopal

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Kanasaiya 2. New Vill.—Anantpura 3. New Vill.—Shantinagar P.H.No.—3.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Bhopal.

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| 2. | 1. Org. Vill.—Pura Chindvada
2. New Vill.—Sekhpura
P.H.No.—01. | Superintendent of Land
Records (permanent),
District—Bhopal. |
| 3. | 1. Org. Vill.—Balampur
2. New Vill.—Dehri
P.H.No.—17. | |
| 4. | 1. Org. Vill.—Narohna Sankal
2. New Vill.—Padariya Sankal
P.H.No.—22. | |
| 5. | 1. Org. Vill.—Adampur Chavni
2. New Vill.—Chavni Pathar
3. New Vill.—Haripura (Arjun Nagar)
P.H.No.—21. | |
| 6. | 1. Org. Vill.—Parvaliya Sadak
2. New Vill.—Shapura
P.H.No.—03. | |
| 7. | 1. Org. Vill.—Aagariya
2. New Vill.—Chapar
P.H.No.—13. | |
| 8. | 1. Org. Vill.—Islamnagar
2. New Vill.—Mastipura
P.H.No.—12. | |
| 9. | 1. Org. Vill.—Toomda
2. New Vill.—Patiniya
3. New Vill.—Ayyapur
4. New Vill.—Rajeev Nagar
P.H.No.—36. | |

Tahsil : Berasiya**District : Bhopal**

- | | | |
|-----|---|--|
| 10. | 1. Org. Vill.—Laloi
2. New Vill.—Onchi Laloi
P.H.No.—30. | Superintendent of Land
Records (permanent),
District—Bhopal. |
| 11. | 1. Org. Vill.—Jamusarkhurd
2. New Vill.—Lalukhedi
P.H.No.—14. | |

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-19-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई

अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : इंदौर

जिला : इंदौर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
------	-----------------------------	--

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 1. मूल ग्राम—पेडमी
2. नवीन ग्राम—तेलियाखेड़ी
प.ह.नं. 35. | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित)
जिला इंदौर. |
|----|--|--|

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-19-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-19-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-19-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Indore

District : Indore

- | S. No. | Name of original
village | Designation of the Officer
authorized to prepare
record of rights |
|--------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 1. Org. Vill.—Pedmi
2. New Vill.—Teliyakhedi
P.H.No.—35. | Superintendent of Land
Records (permanent),
District—Indore. |

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-20-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : खैरलांजी	जिला : बालाघाट
क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)
1. 1. मूल ग्राम—सालेबर्डी 2. नवीन ग्राम—दैतबर्डी प.ह.नं. 06.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
2. 1. मूल ग्राम—अमई 2. नवीन ग्राम—कन्हारटोला प.ह.नं. 19.	
तहसील : लांजी	जिला : बालाघाट
3. 1. मूल ग्राम—मनेरी 2. नवीन ग्राम—कनेरी प.ह.नं. 48.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
तहसील : किरनापुर	जिला : बालाघाट
4. 1. मूल ग्राम—बूढ़ी 2. नवीन ग्राम—मराठा बूढ़ी प.ह.नं. 23.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
तहसील : लालबर्डी	जिला : बालाघाट
5. 1. मूल ग्राम—मोहगांव (धपेरा) 2. नवीन ग्राम—खोगाटोला प.ह.नं. 63.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
तहसील : बारासिवनी	जिला : बालाघाट
6. 1. मूल ग्राम—रामपायली 2. नवीन ग्राम—कसबीटोला प.ह.नं. 39.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-20-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-20-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-20-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Khairlanji	District : Balaghat
S. No. Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)
1. 1. Org. Vill.—Salebardi 2. New Vill.—Daitbarra P.H.No.—06.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
2. 1. Org. Vill.—Amai 2. New Vill.—Kanhartola P.H.No.—19.	
Tahsil : Lanji	District : Balaghat
3. 1. Org. Vill.—Maneri 2. New Vill.—Kaneri P.H.No.—48.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
Tahsil : Kirnapur	District : Balaghat
4. 1. Org. Vill.—Budhi 2. New Vill.—Maratha budhi P.H.No.—23.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
Tahsil : Lalbarra	District : Balaghat
5. 1. Org. Vill.—Mohgaon (Dhaperi) 2. New Vill.—Khogatola P.H.No.—63.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
Tahsil : Baraseoni	District : Balaghat
6. 1. Org. Vill.—Rampayli 2. New Vill.—Kasbitola P.H.No.—39.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-21-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके

नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : मंझगवां		जिला : सतना
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—पिण्डरा	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)
	2. नवीन ग्राम—बरुआ प.ह.नं. 35.	जिला सतना.

तहसील : मैहर		जिला : सतना
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
2.	1. मूल ग्राम—सोनवारी	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)
	2. नवीन ग्राम—झण्डा प.ह.नं. 53.	जिला सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-21-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-21-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-21-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Majhagowan District : Satna

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	1. Org. Vill.—Pindra	Superintendent of Land Records (permanent), District—Satna.
	2. New Vill.—Barua P.H.No.—35.	

Tahsil : Maihar		District : Satna
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
2.	1. Org. Vill.—Sonwari	Superintendent of Land Records (permanent), District—Satna.
	2. New Vill.—Jhanda P.H.No.—53.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-22-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : बण्डा		जिला : सागर
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—पाटन	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)
	2. नवीन ग्राम—नयाखेड़ा प.ह.नं. 48.	जिला सागर.
2.	1. मूल ग्राम—बूढ़ाखेरा	
	2. नवीन ग्राम—सिसगुवां प.ह.नं. 54.	
3.	1. मूल ग्राम—चौकामेड़ा	
	2. नवीन ग्राम—डावलीखेड़ा प.ह.नं. 93.	

तहसील : गढ़ाकोटा		जिला : सागर
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
4.	1. मूल ग्राम—टडा	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)
	2. नवीन ग्राम—सोजनावार प.ह.नं. 01.	जिला सागर.

तहसील : मालथौन		जिला : सागर
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
5.	1. मूल ग्राम—परसोन	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)
	2. नवीन ग्राम—पठारी प.ह.नं. 105.	जिला सागर.

तहसील : राहतगढ़		जिला : सागर
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
6.	1. मूल ग्राम—बांदरी करौती	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)
	2. नवीन ग्राम—क्यावला प.ह.नं. 71.	जिला सागर.
7.	1. मूल ग्राम—बरौदियाकला	
	2. नवीन ग्राम—प्रेमपुरा प.ह.नं. 122.	

तहसील : राहतगढ़		जिला : सागर
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
8.	1. मूल ग्राम—मेनवारा कला	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)
	2. नवीन ग्राम—लखनपुर प.ह.नं. 34.	जिला सागर.
9.	1. मूल ग्राम—जलंधर	
	2. नवीन ग्राम—लक्ष्मणपुरा प.ह.नं. 38.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
तहसील : केसली		जिला : सागर	2.	1. Org. Vill.—Budhakhera 2. New Vill.—Sisguan P.H.No.—54.	
10.	1. मूल ग्राम—नाहरमड 2. नवीन ग्राम—कुण्डलपुर प.ह.नं. 13.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सागर.	3.	1. Org. Vill.—Choukameda 2. New Vill.—Dawlikhera P.H.No.—93.	
11.	1. मूल ग्राम—बम्होरी 2. नवीन ग्राम—नयागांव प.ह.नं. 06.		Tahsil : Gadakota		District : Sagar
तहसील : सागर		जिला : सागर	4.	1. Org. Vill.—Tada 2. New Vill.—Sojanavar P.H.No.—01.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Sagar.
12.	1. मूल ग्राम—घाटमपुर 2. नवीन ग्राम—अर्जना टोला प.ह.नं. 114.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सागर.	Tahsil : Malthoun		District : Sagar
13.	1. मूल ग्राम—करापुर 2. नवीन ग्राम—खिरिया प.ह.नं. 82.		5.	1. Org. Vill.—Parson 2. New Vill.—Pathari P.H.No.—105.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Sagar.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.			6.	1. Org. Vill.—Bandari Karouti 2. New Vill.—Qvayala P.H.No.—71.	
भोपाल, दिनांक 10 जून 2013			7.	1. Org. Vill.—Barodiyakala 2. New Vill.—Prempura P.H.No.—122.	
क्र. एफ 15-22-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-22-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.			Tahsil : Rahatgarh		District : Sagar
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.			8.	1. Org. Vill.—Menvara kala 2. New Vill.—Lakhanpur P.H.No.—34.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Sagar.
Bhopal, the 10th June 2013			9.	1. Org. Vill.—Jalndhar 2. New Vill.—Lakshmanpura P.H.No.—38.	
F. No. 15-22-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—			Tahsil : Kesali		District : Sagar
SCHEDULE			10.	1. Org. Vill.—Naharmau 2. New Vill.—Kundalpur P.H.No.—13.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Sagar.
Tahsil : Banda		District : Sagar	11.	1. Org. Vill.—Bamhori 2. New Vill.—Nayagaon P.H.No.—06.	
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights	Tahsil : Sagar		District : Sagar
(1)	(2)	(3)	12.	1. Org. Vill.—Ghatampur 2. New Vill.—Arjana Tola P.H.No.—114.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Sagar.
1.	1. Org. Vill.—Patan 2. New Vill.—Nayakhera P.H.No.—48.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Sagar.	13.	1. Org. Vill.—Karrapur 2. New Vill.—Khiriya P.H.No.—82.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-23-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : गोगांवा

जिला : खरगोन

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—लीमवाड़ी 2. नवीन ग्राम—नीमवाड़ी प.ह.नं. 40.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला खरगोन.

तहसील : झिरन्या

जिला : खरगोन

2.	1. मूल ग्राम—मुरम्या 2. नवीन ग्राम—अवलया प.ह.नं. 25.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला खरगोन.
----	--	---

तहसील : भीकनगांव

जिला : खरगोन

3.	1. मूल ग्राम—पिपराड़ 2. नवीन ग्राम—धोबीखोदरा प.ह.नं. 16.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला खरगोन.
4.	1. मूल ग्राम—बोरूठ 2. नवीन ग्राम—घोडवा 3. नवीन ग्राम—खारवी प.ह.नं. 10.	
5.	1. मूल ग्राम—पाडल्यागवली 2. नवीन ग्राम—पोखरखुर्द प.ह.नं. 04.	
6.	1. मूल ग्राम—अंजनगांव 2. नवीन ग्राम—पिपल्या प.ह.नं. 17.	
7.	1. मूल ग्राम—बिलखेड खुर्द 2. नवीन ग्राम—अदलपुरा प.ह.नं. 23.	

(1) (2) (3)

8. 1. मूल ग्राम—कांझर
2. नवीन ग्राम—बामनडोकरी (कुण्डिया)
3. नवीन ग्राम—रामपुरा
4. नवीन ग्राम—नागझिरी (हाण्डीकुण्डी)
5. नवीन ग्राम—बाड़ी
प.ह.नं. 33.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-23-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-23-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-23-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Gogaon		District : Khargone
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Limwadi 2. New Vill.—Nimwadi P.H.No.—40.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Kharone.
Tahsil : Zirnaya		District : Khargone
2.	1. Org. Vill.—Murmaya 2. New Vill.—Aawlya P.H.No.—25.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Kharone.
Tahsil : Bhikangaon		District : Khargone
3.	1. Org. Vill.—Piprad 2. New Vill.—Dhobi Khodra P.H.No.—16.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Kharone.

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| 4. | 1. Org. Vill.—Boruth
2. New Vill.—Ghodwa
3. New Vill.—Kharwi
P.H.No.—10. | Superintendent of Land
Records (permanent),
District—Kharone. |
| 5. | 1. Org. Vill.—Padlaya Gowli
2. New Vill.—Pokhar Khurd
P.H.No.—04. | |
| 6. | 1. Org. Vill.—Anjangawan
2. New Vill.—Pipliya
P.H.No.—17. | |
| 7. | 1. Org. Vill.—Bilkhade Khurd
2. New Vill.—Adalपुरा
P.H.No.—23. | |
| 8. | 1. Org. Vill.—Kanghar
2. New Vill.—Baman Dokari (Kundia)
3. New Vill.—Rampura
4. New Vill.—Nagjhiri (HandiKundi)
5. New Vill.—Badi
P.H.No.—33. | |

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-24-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : सिवनी मालवा		जिला : होशंगाबाद
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—निपान्या 2. नवीन ग्राम—खटकड प.ह.नं. 31.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला होशंगाबाद.
2.	1. मूल ग्राम—रानीपुर 2. नवीन ग्राम—गाडरीपुरा प.ह.नं. 24.	

- | (1) | (2) | (3) |
|---------------------|--|--|
| तहसील : बाबई | | जिला : होशंगाबाद |
| 3. | 1. मूल ग्राम—जावली
2. नवीन ग्राम—डुडियाघाट
प.ह.नं. 21. | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित)
जिला होशंगाबाद. |
| 4. | 1. मूल ग्राम—गौरा
2. नवीन ग्राम—सकतपुर
प.ह.नं. 01. | |
| 5. | 1. मूल ग्राम—गूजरवाड़ा
2. नवीन ग्राम—कीरपुरा
प.ह.नं. 52. | |

- | तहसील : डोलरिया | | जिला : होशंगाबाद |
|-----------------|--|--|
| 6. | 1. मूल ग्राम—डोलरिया
2. नवीन ग्राम—नागनियापुरा
प.ह.नं. 23. | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित)
जिला होशंगाबाद. |

- | तहसील : सोहागपुर | | जिला : होशंगाबाद |
|------------------|---|--|
| 7. | 1. मूल ग्राम—गलचा
2. नवीन ग्राम—सेकाखेड़ी
प.ह.नं. 49. | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित)
जिला होशंगाबाद. |

- | तहसील : बनखेड़ी | | जिला : होशंगाबाद |
|-----------------|--|--|
| 8. | 1. मूल ग्राम—पडरई ठाकुर
2. नवीन ग्राम—पासीढाना
3. नवीन ग्राम—झिरियाझौरा
प.ह.नं. 50. | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित)
जिला होशंगाबाद. |

- | तहसील : होशंगाबाद | | जिला : होशंगाबाद |
|-------------------|---|--|
| 9. | 1. मूल ग्राम—रायपुर
2. नवीन ग्राम—बान्द्राभान
प.ह.नं. 19. | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित)
जिला होशंगाबाद. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-24-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-24-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

(1)

(2)

(3)

F. No. 15-24-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Seoni Malwa **District : Hoshangabad**

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Nipaniya 2. New Vill.—Khatkad P.H.No.—31.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Hoshangabad.

2.	1. Org. Vill.—Ranipur 2. New Vill.—Gadripura P.H.No.—24.	
----	--	--

Tahsil : Babai **District : Hoshangabad**

3.	1. Org. Vill.—Jawli 2. New Vill.—Dudiyaghat P.H.No.—21.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Hoshangabad.
4.	1. Org. Vill.—Goura 2. New Vill.—Sakatpur P.H.No.—01.	

5.	1. Org. Vill.—Gujarwada 2. New Vill.—Keerpura P.H.No.—52.	
----	---	--

Tahsil : Dolariya **District : Hoshangabad**

6.	1. Org. Vill.—Dolariya 2. New Vill.—Naganiyapura P.H.No.—23.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Hoshangabad.
----	--	--

Tahsil : Sohagpur **District : Hoshangabad**

7.	1. Org. Vill.—Galcha 2. New Vill.—Sekakhedi P.H.No.—49.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Hoshangabad.
----	---	--

Tahsil : Bankhed

District : Hoshangabad

8.	1. Org. Vill.—Padraithakur 2. New Vill.—Pasidhana 3. New Vill.—Jhreyajhora P.H.No.—50.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Hoshangabad.
----	---	--

Tahsil : Hoshangabad

District : Hoshangabad

9.	1. Org. Vill.—Raipur 2. New Vill.—Bandrabhan P.H.No.—19.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Hoshangabad.
----	--	--

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-36-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : आष्टा

जिला : सीहोर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—अरनिया जोहरी 2. नवीन ग्राम—देवली प.ह.नं. 93.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सीहोर.

तहसील : नसरुल्लागंज

जिला : सीहोर

2.	1. मूल ग्राम—टीकामोड़ 2. नवीन ग्राम—बावड़ीखेड़ा 3. नवीन ग्राम—मांगरोल प.ह.नं. 42.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सीहोर.
3.	1. मूल ग्राम—सेमलपानी कदीम 2. नवीन ग्राम—सालारोड प.ह.नं. 32.	

(1)	(2)	(3)	the officer mentioned in column (3) there of:—
4.	1. मूल ग्राम—सातदेव 2. नवीन ग्राम—नीमाखेड़ी प.ह.नं. 27.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सीहोर.	SCHEDULE Tahsil : Ashta District : Sehore S. No. Name of original village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (1) (2) (3)
5.	1. मूल ग्राम—छापरी 2. नवीन ग्राम—सुआपानी प.ह.नं. 14.		1. 1. Org. Vill.—Arniya Johari Superintendent of Land Records (permanent), 2. New Vill.—Devli District—Sehore. P.H.No.—93.
6.	1. मूल ग्राम—हालियाखेड़ी 2. नवीन ग्राम—नयागांव प.ह.नं. 30.		Tahsil : Nasrullahganj District : Sehore 2. 1. Org. Vill.—Teekamod Superintendent of Land 2. New Vill.—Mangrol Records (permanent), 3. New Vill.—Bawdikhedha District—Sehore. P.H.No.—42.
7.	1. मूल ग्राम—राला 2. नवीन ग्राम—सरवरगंज प.ह.नं. 60.		3. 1. Org. Vill.—Semalpani Kadeem 2. New Vill.—Salaroad P.H.No.—32.
8.	1. मूल ग्राम—नीलकंठ 2. नवीन ग्राम—चमेटी प.ह.नं. 62.		4. 1. Org. Vill.—Satdev 2. New Vill.—Neemakhedi P.H.No.—27.
9.	1. मूल ग्राम—हमीदगंज 2. नवीन ग्राम—घोघरा प.ह.नं. 10.		5. 1. Org. Vill.—Chhapari 2. New Vill.—Suapani P.H.No.—14.
10.	1. मूल ग्राम—बसंतपुर 2. नवीन ग्राम—पांगरी प.ह.नं. 11.		6. 1. Org. Vill.—Haliyakhedi 2. New Vill.—Nayagaon P.H.No.—30.
			7. 1. Org. Vill.—Rala 2. New Vill.—Sarvarganj P.H.No.—60.
			8. 1. Org. Vill.—Neelkanth 2. New Vill.—Chamettee P.H.No.—62.
			9. 1. Org. Vill.—Hameedganj 2. New Vill.—Ghoghara P.H.No.—10.
			10. 1. Org. Vill.—Basantpur 2. New Vill.—Pangari P.H.No.—11.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-36-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-36-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-36-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

एफ क्र. 15-38-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : सेंधवा

जिला : बड़वानी

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—धनोरा 2. नवीन ग्राम—चारदड़ प.ह.नं. 10.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बड़वानी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ 15-38-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-38-2013-सात-6, दिनांक 11 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th June 2013

F. No. 15-38-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Sendwa

District : Barwani

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Dhanora 2. New Vill.—Chardhar P.H.No.—10.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Barwani.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

क्र. एफ 2-1-2012-छः.—राज्य शासन जबलपुर जिले के ग्वारीघाट को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है:—

पूर्व की ओर शमशान घाट
पश्चिम की ओर ग्वारीघाट
उत्तर की ओर खंदारी नाला
दक्षिण की ओर नर्मदा नदी का किनारा.

क्र. एफ 2-02-2012-छः.—राज्य शासन नरसिंहपुर जिले के बरमान को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है:—

1. छिडाव घाट (सीढ़ी घाट) स्थल—

1. उत्तर में रास्ता पक्की खसरा नं. 70 एवं खसरा नं. 53, 54/1, 71.
2. पश्चिम में खसरा नं. 32 का शेष भाग (नर्मदा जी)
3. पूर्व में खसरा नं. 80 का शेष भाग (नर्मदा जी)
4. दक्षिण में ग्राम बरमानकला शासकीय भूमि नर्मदाजी से लगा हुआ ग्राम बरमान खुर्द, तहसील गाडरवारा का खसरा नं. 40 एवं मौजा बरमान कला का भाग खसरा नं. 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92.

2. सतधारा घाट—

1. उत्तर में खसरा नं. 169/18, 169/8, 169/26, 169/20, 169/12, 169/23, 169/21, 169/14(रास्ता), 169/1ग, 169/43(रास्ता), 169/20.
2. पूर्व में मौजा धरमपुरी मेढ़ा नर्मदाजी,
3. पश्चिम में खसरा नं. 80 नर्मदा जी एवं खसरा नं. 103/1, 104/3, 106 एवं बरमान खुर्द का मेढ़ा.
4. दक्षिण में ग्राम खामघाट, तहसील गाडरवारा की शासकीय भूमि खसरा नं. 1/1, 1/2 (नर्मदा जी)

3. दीपा का मंदिर—खसरा नं. 85/2—

1. उत्तर में खसरा नम्बर 84, 86
2. दक्षिण में मौजा बरमान खुर्द की सीमा
3. पूर्व में खसरा नंबर 85/1, 88 भूमि स्वामी.
4. पश्चिम में खसरा नं. 84 भूमि स्वामी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 2अ-82-भू.अ.पु.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	ग्राम परसवाह प.ह.नं. 200 बंदोबस्त क्र. 277 शासकीय भूमि-	158.34 51.70	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी संभाग क्र. 1, डिण्डौरी.	अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
			योग : 210.04		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-भू.अ.पु.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	पथरकुचा माल बंदोबस्त क्र. 252 प.ह.नं. 201	227.86	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी संभाग क्र. 1, डिण्डौरी.	अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
			योग : 227.86		
			शासकीय भूमि : 33.03		
			कुल योग : 260.89		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-भू.अ.पु.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौर	बजाग	ग्राम पथरकुचा रैयत प.ह.नं. 201 बंदोबस्त क्र. 251	112.55	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी संभाग क्र. 1, डिण्डौर.	अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
			योग : 112.55		
			शासकीय भूमि : 20.78		
			कुल योग : 133.33		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 मई 2013

शुद्धि पत्र

भू-अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—ग्राम कसरावद तहसील हरसूद, जिला खण्डवा आबादी भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

आबादी भूमि

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि कुल रकबा	संशोधित प्रविष्टि कुल रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
4986.00	4986.50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 1 जून 2013

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	धर्मपुरा	0.150	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम धर्मपुरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हीरानगर	1.605	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरानगर की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बौरी	2.276	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बौरी की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पहाड़ीखुर्द	1.801	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम पहाड़ीखुर्द की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बंदिया	0.940	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बंदिया की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हनुमान सागर	3.430	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हनुमान सागर की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	तखा	1.109	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम तखा की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	आलमपुरा	0.400	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम आलमपुरा की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुनवाहा	2.363	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम सुनवाहा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 3 जून 2013

प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	गनेशगंज खास	0.846	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गनेशगंज खास की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नयाखेरा	1.550	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम नयाखेरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हरपुरा	0.330	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मानिकपुरा	0.876	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम मानिकपुरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	गनेशागंज भाटा	1.166	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गनेशागंज भाटा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	जमडार	1.290	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम जमडार की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 1 जून 2013

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-13-496.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	प्रस्तावित क्षेत्रफल		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	पिछोर	धुवाई	71	0.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.	टीला तालाब के निर्माण हेतु
			72	0.27		
			80	0.17		
			81	0.19		
			82	0.50		
			83	0.41		
			84	0.38		
			85	0.30		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			86	0.47	
			87	0.31	
			88	0.07	
			89	0.22	
			91	0.05	
			92	0.06	
			93	0.06	
			94	0.27	
			95	0.17	
			96	0.15	
			97	0.21	
			98	0.16	
			100	0.88	
			159	1.09	
			160	0.78	
			161	0.62	
			165	0.10	
			626	0.14	
			661	0.40	
			662	0.56	
			663	0.56	
			665	0.16	
			666	0.27	
			671	0.53	
			672	0.75	
			675	0.24	
			योग . .	12.09	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला-शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 4 जून 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-133.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
शिवपुरी	पोहरी	नैनागढ़	4	1.00	कार्यपालन यंत्री, जल	पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य
			5	1.00	संसाधन संभाग, शिवपुरी.	
			6	0.95		
			7	0.72		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			9	1.85	
			10/1	1.01	
			11	0.90	
			12	0.83	
			14/2	0.50	
			20/1	0.41	
			20/2	0.50	
			21	1.04	
			22	0.20	
			23/1	0.50	
			23/2	0.04	
			29	0.24	
			32	0.37	
			33	0.13	
			34	0.05	
			35	0.11	
			43	0.06	
			44	0.22	
			45	0.11	
			47	0.10	
			48	0.23	
			48/288	0.42	
			49	0.14	
			50	0.09	
			51	0.25	
			52	0.10	
			53	0.04	
			54	0.11	
			57	0.40	
			59	0.84	
			60/1	1.73	
			60/2	0.06	
			61	0.39	
			62/1	0.73	
			63	0.40	
			64	0.20	
			65/2	1.20	
			66	0.18	
			67/1	0.16	
			70	0.03	
			71	0.55	
			72	0.15	
			73	0.46	
			74	0.08	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			76		0.16
			78		0.35
			79/1		0.31
			79/2		0.15
			79/3		0.50
			79/4		0.18
			79/289		0.52
			83/1		0.41
			83/2		0.42
			84		0.83
			86		0.45
			88/1		0.34
			88/2		1.02
			89/1क		0.23
			89/1ख		0.35
			89/2		0.75
			89/3		0.60
			89/4		0.70
			89/5		0.40
			89/6		0.25
			90		2.00
			91		0.55
			95		0.85
			96		0.10
			114		0.28
			116		0.28
			117		0.90
			118		0.27
			119		0.16
			129		0.15
			131		0.05
			132		0.15
			133		0.25
			134		0.13
			135		0.03
			136		0.20
			138		0.01
			142		1.07
			143		0.20
			150		0.43
			151		0.22
			152		0.08
			153		0.01
			154		0.22
			155		0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			157	0.08	
			161	0.01	
			164	0.01	
			165/1	0.09	
			165/2	0.14	
			योग . .	39.77	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-139.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	पोहरी	मकलीझरा	02	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य
			04	0.06		
			05	0.05		
			06	0.28		
			07	0.08		
			08	0.08		
			10	0.25		
			11/1	0.20		
			15	0.05		
			16	0.15		
			18	0.23		
			19/1	0.03		
			19/2	0.03		
			19/3	0.03		
			20/1	0.05		
			20/2	0.04		
			20/3	0.05		
			21	0.05		
			22	0.28		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			23	0.12	
			24	0.15	
			25/1	0.03	
			28	0.08	
			29	0.03	
			30	0.03	
			31	0.05	
			32	0.14	
			33	0.01	
			34	0.01	
			40	0.08	
			42	0.13	
			योग . .	<u>2.95</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 2013

प्र. क्र : 08-अ-82-12-13-सा-1 सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. व अर्जित किया जाने वाला रकबा	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
भोपाल	हुजूर	डोबरा	301 में से 302 में से योग :	कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग संधारण क्रमांक-2, भोपाल. आशाराम बापू चौरहा से अचारपुरा तक सड़क निर्माण हेतु अर्जन.
			खसरा नम्बर	
			रकबा (हे.में)	
			0.010	
			0.030	
			<u>0.040</u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	विशनखेडी	3 में से	0.110	
			1/3 में से	0.010	
			2 में से	0.010	
			1/2 में से	0.010	
			32/1, 33 में से	0.060	
			32/2, 33 में से	0.070	
			32/3, 33 में से	0.090	
			34/1/2 में से	0.170	
			34/2 में से	0.040	
			89/1 में से	0.010	
			89/2 में से	0.050	
			89/3 में से	0.050	
			34/3 में से	0.020	
			5/1/क	0.010	
			5/1/ग	0.010	
			5/1/ख/2	0.010	
			5/1/घ	0.010	
5/1/ख/1/3	0.010				
	योग :		<u>0.860</u>		
भोपाल	हुजूर	अचारपुरा	195 में से	0.020	
			204/2 में से	0.010	
			205/1 में से	0.100	
			213/2 में से	0.010	
			214/2 में से	0.030	
			215/3 में से	0.010	
			228/3 में से	0.020	
			229 में से	0.150	
			230/1 में से	0.030	
			230/2 में से	0.050	
			231 में से	0.210	
			234 में से	0.060	
			276/1 में से	0.010	
			277 में से	0.070	
			278 में से	0.090	
287 में से	0.070				
296/1 में से	0.020				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			296/2 में से	0.020	
			302/1 में से	0.050	
			योग :	<u>1.030</u>	
भोपाल	हुजूर	परवलिया- सानी.	141 में से	0.090	
			143 में से	0.150	
			158 में से	0.070	
			161 में से	0.070	
			168/1 में से	0.010	
			168/2 में से	0.060	
			169 में से	0.030	
			172/1क में से	0.010	
			172/1ख में से	0.010	
			172/2 में से	0.020	
			172/3/1 में से	0.010	
			172/3/2 में से	0.010	
			173 में से	0.040	
			174/2 में से	0.080	
			176/1क में से	0.030	
			176/2/1/3 में से	0.010	
			176/2/1/2 में से	0.010	
			176/2/2क में से	0.020	
			योग :	<u>0.730</u>	
भोपाल	हुजूर	चांदपुर	350/1 में से	0.020	
			351/क/1 में से	0.030	
			351/ख में से	0.030	
			351/ड में से	0.030	
			337 में से	0.110	
			322 में से	0.080	
			307 में से	0.060	
			306 में से	0.010	
			305/2/2/1 में से	0.060	
			305/2/1 में से	0.030	
			305/1 में से	0.010	
			304 में से	0.080	
			230 में से	0.010	
			225 में से	0.010	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			216 में से	0.050	
			224 में से	0.240	
			215 में से	0.020	
			220 में से	0.020	
			214 में से	0.020	
			221 में से	0.060	
			204/2 में से	0.020	
			206 में से	0.060	
			210 में से	0.060	
			212 में से	0.030	
			219 में से	0.100	
			218 में से	0.060	
			योग :	<u>1.310</u>	
भोपाल	हुजूर	गोदरमउ	346/1 में से	0.433	
			346/2 में से	0.154	
			337 में से	0.024	
			341/2 में से	0.040	
			359/1/1 में से	0.028	
			359/2 में से	0.130	
			360/1 में से	0.231	
			360/2 में से	0.138	
			361 में से	0.081	
			362/1/2 में से	0.275	
			379/2/1 में से	0.138	
			379/2/2 में से	0.138	
			513/1/2क में से	0.061	
			512/2क में से	0.194	
			511/2 में से	0.291	
			510 में से	0.077	
			501/2 में से	0.239	
			502 में से	0.219	
			योग :	<u>2.891</u>	
			महायोग :	<u>6.861</u>	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील (हुजूर), भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत बरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 मई 2013

नस्ती क्र. 110-2011-एल.ए.-प्र. क्र. 07-अ-82-2010-2011.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर द्वारा उनके पत्र क्र./2309/दिनांक 22-6-11 द्वारा ग्राम उण्डेल के विभिन्न सर्वे की कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.72 हेक्टर व उस पर स्थित परिसंपत्ति ग्राम पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु तत्काल अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद को प्रस्तुत किये गये. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने की कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्र./1078/नर्मदानगर, दिनांक 22-4-13 द्वारा उक्त ग्राम के भू-अर्जन प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने (1 से 9) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ((9) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत कॉलम 6 व 7 में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण		
			अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न सर्वे नंबर अर्जन हेतु प्रस्तावित था	अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाले सर्वे नंबर का ब्यौरा				
(1)	(2)	(3)	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	(6)	रकबा (हेक्टर में)	(8)	(9)
खण्डवा	हरसूद	उण्डेल	4	0.08	4	0.08	कार्यपालन यंत्री	पुनासा उद्वहन
			12	0.08	12	0.08	नर्मदा विकास	सिंचाई योजना के
			14	0.10	14	0.10	संभाग क्र. 25,	अन्तर्गत विवरण
			17/1	0.10	17/1	0.10	नर्मदानगर.	पाईप लाईन.
			17/2	0.10	17/2	0.10		
			19/1	0.13	19/1	0.13		
			46	0.13	46	0.13		
			योग :	0.72	योग :	0.72		

भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 25, नर्मदानगर, (3) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद, जिला खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	गुढ़ाकला	5.000	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भू-अर्जन के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	लवकुशनगर	24.000	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भू-अर्जन के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	हरद्वार	22.000	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भू-अर्जन के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	परसनियां	2.000	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भू-अर्जन के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 3 जून 2013

क्र. 2899-भू-अर्जन-2013-प्रकरण क्र. 32-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	आलोट	आलोट	06.344	अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, आलोट.	आलोट-बायपास मार्ग से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2901-भू-अर्जन-2013-प्रकरण क्र. 33-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	आलोट	विक्रमगढ़	2.747	अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, आलोट.	आलोट-बायपास मार्ग से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 5 जून 2013

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमिके संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	पपावनीखास	1.86	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	मडवा घाट नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) ग्राम पपावनीखास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	सुनरईखास	0.605	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	मडवा घाट नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) ग्राम सुनरईखास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 5 जून 2013

क्र. 651-भू-अर्जन-रीडर-1-2013-प्र. क्र.-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाल (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	राजावाट	0.38	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग इंदौर.	खण्डवा-बड़ोदा मार्ग पर स्थित सुककड़ नदी पर पुल बनाने हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 जून 2013

क्र. 1243-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गजगँवा	3.48	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1245-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गढ़वाकला	2.64	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1247-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गोरइया	2.04	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1249-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बरदाडीह	1.65	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 976-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा. नि. मं. भोमा
(ग) ग्राम—भोमा, ब.नं. 460, प. ह.नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114/1	0.09
114/5	0.13
योग . .	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 976-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. केवलारी
(ग) ग्राम—केवलारी, ब. नं. 26/31, प. ह.नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187	0.68
183/3	0.27
183/2	0.33
188/1	0.27
191/1	0.15
191/2	0.24
192	0.25
305	0.68
167	0.08
168	0.13
154/3	0.05
योग . .	3.13

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 976-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा. नि. मं. सिवनी-1
(ग) ग्राम—बिटली, ब. नं. 484, प. ह.नं. 107/50
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/1	0.31
339	0.32
340	0.37
योग . .	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 976-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा. नि. मं. सिवनी
(ग) ग्राम—पीपरडाही, ब. नं. 343, प. ह.नं. 51
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
480	0.08
481	0.12
482	0.21
485	0.54
489	0.05
490	0.11
491/3	0.02
539	0.42
540	0.08
541	0.50
547	0.09
546	0.10
549	0.22
554/1	0.46
योग . .	3.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-02-(अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—मण्डला
(ग) ग्राम—ग्वारा-प. ह. नं. 07, बाजा-प. ह. नं. 03, सुनेहरा माल एवं ढेको-प. ह. नं. 04.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.51 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम-ग्वारा	
68/1	0.96
67/1	0.16
66	0.02
65/2	0.08
65/1	0.08
योग . .	1.30
ग्राम-बाजा	
560	0.24
561	0.30
562/1	0.38
564/1	0.24
योग . .	1.16
ग्राम-सुनेहरा	
489	0.09
ग्राम-ढेको	
1/1	0.35
3/1	0.59
4	0.02
योग . .	0.96
महायोग . .	3.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हवाई पट्टी निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	38/2/5	0.125
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.	51	0.057
	59	0.008
	66/1	0.040
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	66/2	0.288
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	126	0.053
		योग. . 2.648

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-494-प्र.क्र.10-अ-82-2010-11-2575.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—शहडोल	
(ख) तहसील—सोहागपुर	
(ग) ग्राम—बड़खेरा-2.648, बरुका-2.770, कटहरी-2.275, पटासी-0.827.	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.520	
खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)

ग्राम-बड़खेरा पटवारी हल्का खेतौली नम्बर 59

4	0.295
5	0.113
8/1क/1क	0.255
8/1क/2	0.364
19	0.089
20	0.125
21/1	0.145
21/2	0.085
24/1	0.125
38/1/2	0.166
38/1/4क	0.153
38/2/2	0.162

ग्राम-बरुका पटवारी हल्का बरुका नम्बर 55

32/1	0.200
33/1/1	0.303
38/1	0.170
39/1/1	1.324
40/3/1	0.121
40/4/1	0.121
41	0.202
43	0.202
44	0.127
	योग. . 2.770

ग्राम-कटहरी पटवारी हल्का देवगांवां नम्बर 56

111	0.097
112	0.532
154/1	0.140
154/2	0.141
128	0.314
134/4	0.018
136/1	0.146
199/1	0.547
195	0.202
216	0.015
175	0.123
	योग. . 2.275

ग्राम-पटासी पटवारी हल्का पटासी नम्बर 57

497	0.200
498	0.102
501	0.040
911/1	0.202
913	0.041
915	0.041
912	0.064
946/1	0.065
946	0.072
	योग. . 0.827
	कुल योग. . 8.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—छतवई पटासी मार्ग के अंतर्गत ग्राम बरुका, पटासी, कटहरी एवं ग्राम बड़खेरा की भूमि कुल 8.520 हे. निजी भूमि का अर्जन.	(1)	(2)	(3)
	1509	1.470	0.110
	1503	0.460	0.070
	1408	0.110	0.010
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.	1515	0.920	0.090
	1513	0.150	0.060
	1512	0.210	0.020
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	1514	0.290	0.100
	1521/मिन-1	0.580	
	1521/मिन-2	0.470	0.130
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	1522	0.460	0.040
	1525	0.670	0.130
	1526	0.300	0.030
ग्वालियर, दिनांक 22 मई 2013	1527	0.520	0.170
प्र. क्र. 01-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	1528	0.580	0.020
	1411	0.890	0.170
	1407	0.300	0.020
	1406	0.670	0.040
	1405/मिन-1	0.550	
	1405/मिन-2	0.140	0.060
अनुसूची	1171	0.460	0.040
(1) भूमि का वर्णन—	971	0.070	0.030
(क) जिला—ग्वालियर	1170	0.340	0.100
(ख) तहसील—ग्वालियर	1180	0.810	0.160
(ग) ग्राम—बिजौली-II	1087	0.120	0.020
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.82 हेक्टेयर.	1169	0.210	0.010
सर्वे नम्बर	1188	0.380	0.080
कुल रकबा (हे. में)	1187/मिन-1	0.180	
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	1187/मिन-2	0.180	0.060
(1)	1187/मिन-3	0.180	
(2)	1106	0.090	0.040
(3)	1189	0.230	0.040
1933	402	0.220	0.020
1475	1163	0.420	0.100
1931	1090	0.500	0.140
1482	1089	0.420	0.060
1071	1107	0.110	0.010
1497	1082	0.160	0.060
1496	188	0.120	0.070
1495			
1504			

(1)	(2)	(3)
271	0.410	0.010
272	0.410	0.150
286	0.740	0.070
285	0.740	0.06
284	0.750	0.070
283	0.750	0.06
282	1.020	0.150
280	0.740	0.160
382	1.620	0.200
385	0.850	0.150
387	1.880	0.020
234	0.500	0.130
233/मिन-1	0.300	0.140
233/मिन-2	0.210	-
232	0.450	0.100
230	0.210	0.070
229	0.280	0.080
500	2.290	0.160
221	0.240	0.010
222	0.270	0.090
652	0.210	0.080
582	0.170	0.090
579	0.420	0.030
651	0.560	0.070
648	0.110	0.010
573	0.240	0.090
649	0.100	0.20
650	0.040	0.020
580	0.120	0.060
583	0.170	0.020
581	0.120	0.070
569/1	1.100	0.200
560	1.170	0.120
योग . .		3.40

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 24 मई 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-130.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—शाजापुर

(ग) ग्राम—तिलावद गोविन्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.17 हेक्टेयर.

खसरा क्र. क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
(हे. में)

(1) (2)

1862/1 0.17

योग : 0.17

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तिलावद गोविन्द तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 मई 2013

नस्ती क्र. 127-2011-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-28-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—हंतिया वन ग्राम 172

(घ) अर्जित रकबा —13.34 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

106 0.403

106/2 0.59

106/3 0.367

105 0.32

93/1 0.21

93/2 0.50

93/3 0.17

94/1 0.68

88 0.32

85/2 0.39

85/1 0.26

28/1 0.14

28/2 0.16

29/1 0.21

29/2 0.32

29/3 0.22

43/1 0.17

43/2 0.12

43/3 0.21

41 0.10

40/1 0.03

40/2 0.095

40/3 0.095

39/1 0.11

39/2 0.20

39/3 0.12

33/1 0.14

33/2 0.15

33/3 0.14

34/1 0.17

34/2 0.17

15 0.18

16/1 0.15

(1)

(2)

16/2 0.16

11/1 0.08

11/2 0.08

4/1 0.14

4/3 0.14

4/4 0.14

44/3 0.42

44/2 0.387

50/1 0.043

50/2 0.02

50/3 0.035

50/4 0.035

66 0.72

58/1 0.44

58/2 0.12

57 0.23

58 0.22

56 0.01

55 0.176

53/1

53/2 0.108

52 0.01

53/3 0.089

53/4 0.041

53/5 0.032

53/6 0.084

79 0.23

99/2 0.01

78 0.16

77 0.19

75 0.17

74/1 0.20

73 0.20

63 0.46

62 0.15

योग : 13.34

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सगर परियोजना के अंतर्गत गोराइया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम. 09, एम. 10 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 29 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13. शुद्धि पत्र—प्र.क्र.27-अ-82-2012-13.—ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1) के पृष्ठ क्रमांक 288, दिनांक 18 जनवरी, 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

कृषि भूमि

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सर्वे नम्बर में	संशोधित प्रविष्टि सर्वे नम्बर में
(1)	(2)
369/1	369/2

खण्डवा, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13. शुद्धि पत्र—प्र.क्र.12-अ-82-2012-13.—ग्राम कसरावद, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1) के पृष्ठ क्रमांक 308, दिनांक 18 जनवरी, 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

कृषि भूमि

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सर्वे नम्बर में	संशोधित प्रविष्टि सर्वे नम्बर में
(1)	(2)
93/2	39/3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 मई 2013

क्र. 1084-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र. क्र. 50-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—सेमल्दा डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.756 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
148/2	0.081
149/2/3	
149/2/1	0.134
149/2/2	0.198
149/3	0.495
149/4/1	0.070
149/4/2	0.165
150/1	0.140
161/2क	
161/2ख	0.210
162, 163	
166/1	0.053
168/2	0.073
168/3	0.090
171	
170/1	0.071
179/2/1	0.178
183/1	
179/2/2	0.101
183/2	
180	0.078
181	
186	0.091
188	0.177
190	0.134
194	0.202
197/1	0.490
198/1	0.116
198/2	0.178
200/1	0.486
200/3	
200/5	0.376
203/1/1/2	0.211
203/2/1	0.267

(1)	(2)
206/1/2	0.172
206/3/1	0.016
207/2	0.170
207/1/4	0.078
211/2	0.480
221/1ख	0.164
222/1/2	0.470
223/2/2	0.421
224/1	0.133
224/2	0.121
242/3/1	0.070
246/1	
244/1/1	0.190
244/2	0.263
245/2	
246/2/1	0.038
246/2/2	0.032
246/2/3	0.006
247/1	0.006
248/2	0.203
249	0.004
267/1/1	0.485
267/1/2	0.065
270/1	0.930
270/2	0.450
270/3	0.421
271/1	0.607
272	0.020
273/1	0.260
273/2	0.287
275/2	0.263

योग . . . 11.756

बड़वानी, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 1160-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र. क्र. 49-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—खजुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.021 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
---------------	---

(1)	(2)
-----	-----

26/2	0.166
------	-------

27	0.074
----	-------

53/3	0.008
------	-------

57/2	0.178
------	-------

62	0.680
----	-------

78/6	0.469
------	-------

78/7	0.006
------	-------

78/8	0.117
------	-------

83/2/3	0.015
--------	-------

83/2/2	0.001
--------	-------

102/1/1/3	0.093
-----------	-------

102/2/1	0.036
---------	-------

102/1/1	0.008
---------	-------

102/3/2	0.225
---------	-------

118/1	0.117
-------	-------

118/6	0.012
-------	-------

121/2	0.008
-------	-------

146/1/2	0.081
---------	-------

146/2	0.494
-------	-------

149	
-----	--

150	0.583
-----	-------

157/1, 157/2	0.394
--------------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
78/1	0.186	326/6क	0.226
78/2	0.300	326/6ख	0.130
79/1	0.182	326/10	0.048
79/2	0.178	326/23, 326/24	0.259
79/3	0.259	327	0.628
79/4	0.064	328/7क	0.008
83/1	0.260	328/7ख	0.024
83/2	0.570	328/8	0.142
84/2	0.054	329/6क	0.024
189/1, 190/3/1	0.048	329/6ख	0.083
193/1/2/1/1	0.081	योग .	<u>13.023</u>
193/1/2/1/2	0.664	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु,	
193/1/2/1/3	0.587	नोट. —भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.	
193/1/2/2	0.316	क्र. 1159-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र. क्र. 60-अ-82-	
193/1/2/3/2	0.073	13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	
193/1/2/3/3	0.413		
194/1	0.216		
194/2	0.020		
204	0.688		
208/1, 209/2/1	0.397		
209/3, 210,	0.170		
211/1, 213/3			
211/2	0.219		
214/3	0.223		
243/2	0.094		
244	0.183		
251	0.163		
254	0.320		
255/1	0.275		
255/2	0.364		
255/4	0.016		
256/1	0.194		
256/2	0.364		
301, 308/7	0.510		
325/4	0.020		
325/7	0.144		
325/17	0.036		
326/4	0.090		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—अभाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.089 हेक्टेयर

खसरा अधिगृहित किया जाने वाला
नम्बर क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

1/1/2 0.324

1/2 0.299

2 0.742

5 0.121

(1)	(2)
269	0.030
271	0.010
273/1	0.648
274/2	0.020
276/1	0.404
276/2	0.433
276/3	0.428
276/4	0.412
277/1	0.385
277/2	0.164
279/2	1.388
281/1	0.020
281/2	0.080
289/2	0.397
291/6	0.146
292/1/1	0.350
292/2/1	0.015
292/2/2	0.131
293/1	0.385
293/2/1	0.466
293/3	0.101
299/2	0.216
303/1	1.113
303/2	0.121
307	0.740
योग .	<u>10.089</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 5943-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित भी किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—तामिया

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम लहगडुआ, प. ह. नं. 10/30, ब. नं. 141, रा. नि. मंडल-तामिया.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —05.375 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

165

05.375

योग . . . 05.375 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंचव्हेली परियोजना के अन्तर्गत मंधान बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना उपखण्ड 2, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 14 मई 2013

क्र. 1745-रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रानापुर
(ग) ग्राम—पाडलवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.16 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362/1	0.03
362/2	0.02
363	0.05
365	0.01
389	0.02
390	0.03
योग . .	0.16

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम पाडलवा तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

क्र. 1747-रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—आमलीफलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.030 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
214	0.030
योग . .	0.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम आमलीफलिया अन्तर्गत झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 28 मई 2013

क्र. 1871-रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—ढेकलबड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.740 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
412	0.010
416/1	0.050

(1)	(2)
423	0.130
424	0.010
425	0.120
427	0.050
447	0.090
324	0.220
326	0.060
	योग . . . 0.740

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—
ग्राम डेकलबड़ी अन्तर्गत झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

क्र. 1872-रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रानापुर
(ग) ग्राम—बन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2849	0.020
2855	0.030
	योग . . . 0.050

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—
ग्राम बन तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

क्र. 1875-रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रानापुर
(ग) ग्राम—भूरीमाटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71	0.170
72	0.330
	योग . . . 0.500

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—
ग्राम भूरीमाटी, तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2013

क्र. 1214-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—शिवपुरवा 601

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.040 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1) √(2)

शासकीय भूमि पर आबादी

516

0.040

योग . . 0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के नहर निर्माण हेतु परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 17 मई 2013

क्र. 174-भू-अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—खतड़गांव

(घ) क्षेत्रफल—26.66 वर्गमीटर.

खसरा नं. रकबा (वर्गमीटर में)

(1) (2)

98

26.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्राज्यी प्रोजेक्ट में डूब से प्रभावित होने के कारण भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग-2, धरमपुरी जिला धार (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 30 मई 2013

क्र. 7602-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—सरदारपुर

(घ) क्षेत्रफल—0.124 हेक्टर

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1) (2)

634 0.054

636 0.070

योग . . 0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— सरदार-भोपावर मार्ग माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग इन्दौर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 28 मई 2013

प्र. क्र. 21-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर, सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—सिमरधान
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.337 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
92/1	0.039
97	0.018
98	0.129
50	0.010
48	0.010
49/2/2	0.154
51	0.108
24	0.021
23	0.324
21	0.194
16/5/1	0.206
16/5/2	0.290
16/1/2क	0.500
10	0.005
08	0.329
योग . . .	<u>2.337</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत माईनर नहर, सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग बासौदा में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 5 जून 2013

प्र. क्र. 21-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर, सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—ककरावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.439 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207/2	0.017
206/2	0.060
209	0.151
220/1	0.077
217	0.177
227/1	0.103
228	0.177
232/2	0.129
232/1	0.129
192/1/1	0.047
192/1/2	0.047
192/2	0.047
192/3	0.047

(1)	(2)	(1)	(2)
187/1	0.140	13/1/1	
187/2		13/1/2	0.199
187/3		13/2	
97/2/2	0.180	12/1/1	0.016
102	0.090	12/2	0.189
97/2/1		69	0.031
97/3	0.039	7/3	0.189
97/4		7/1	
105/1/1	0.144	7/2	0.027
105/1/2		5	0.172
105/2		योग . .	<u>5.439</u>
121/1	0.100		
97/1	0.010	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है— रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत माईनर नहर, सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
116/1	0.086	(3)	भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग बासौदा में किया जा सकता है.
115	0.064		
116/2	0.010		
47	0.118		
34/2	0.025		
34/1	0.082		
33/1	0.010		
28/2	0.090		
36	0.241		
28/1	0.108		
68	0.117		
72/1/1			
72/1/2			
72/2/1	0.205		
72/2/2			
67/1			
67/2	0.750		
67/2/1			
67/2/2			
66/1	0.486		
66/2			
14/1, 14/2			
14/3, 14/4	0.313		
14/5			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 1 जून 2013

क्र. 771-भू-अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—अमोला	(1)	(2)	(3)
(घ) कुल क्षेत्रफल—20.70 हेक्टेयर		1423	0.06
संपत्ति अर्जन हेतु	खसरा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित	1484/2
प्रस्तावित ब्यौरा	नम्बर	रकबा (हे. में)	1486
(1)	(2)	(3)	1487
निजी भूमि-	1350	0.70	1488
कुआं-12	1351	1.40	1489
वृक्ष-131	1352	2.00	1490
मकान-1	1353	1.40	1491
चबूतरा-1	1355	1.35	1492
	1365	0.44	1493
	1366	0.17	1502
	1367	0.61	योग . . .
	1368	0.40	20.70
	1369	0.15	(2) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध, संभाग मड़ीखेड़ा, जिला शिवपुरी.
	1370	0.46	(3) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.—सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.
	1374	0.24	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
	1375	0.15	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
	1377	0.08	आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
	1378	0.19	
	1379	0.17	
	1380	0.49	
	1381	0.21	कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
	1383	0.20	
	1385	0.15	
	1388	0.44	टीकमगढ़, दिनांक 1 जून 2013
	1389	0.27	प्र.क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (4) के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
	1390	0.38	
	1391	0.25	
	1392	0.25	
	1395	0.16	
	1397	0.29	
	1398	0.42	अनुसूची
	1412	0.39	(1) भूमि का वर्णन—
	1413	0.27	(क) जिला—टीकमगढ़
	1414	0.27	(ख) तहसील—टीकमगढ़
	1421/3	0.26	

(ग) नगर/ग्राम—मिनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.276 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21	0.024
23/2	0.098
143/492	0.037
183	0.007
184	0.155
185	0.005
192	0.063
193	0.050
196	0.020
214	0.090
215	0.040
217	0.013
218	0.004
9/11	0.034
38/2	0.140
40/2	0.080
22	0.180
182	0.135
197	0.081
181	0.020
योग . .	<u>1.276</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (4) के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—चरपुवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.729 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
432/2	0.180
435	0.274
428	0.124
456/2	0.358
422/3	0.330
16/5	0.213
14	0.195
425/2	0.055
योग . .	<u>1.729</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जून 2013

क्र. 6135-भू-अर्जन-2013.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—राहीवाड़ा, प.ह नं. 36, ब. नं. 251,
रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —63.833
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(1)

233/2

255/3

233/3

237

450/2

235

236

258/1

233/4

233/5

233/6

234

257/11

238

239

261

262/1

263/2

264

240

242/2

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

0.081 कुआ कच्चा-01

0.396

0.121

0.442

0.028

0.154

0.206

1.145

1.214

0.902

0.809

0.312

0.040

0.975

0.283

0.745 कुआ कच्चा-01

0.400

1.838

0.717

0.040

0.380

(1)

243/2

257/5

257/6

258/2

273/2

241

257/4

257/10

262/2

263/1

242/1

243/1

244/2

244/3

245

256

257/7

270/1

271

272

273/1

259

255/1

255/2

287/2

292/2

255/4

287/4

287/6

292/4

255/5

255/6

292/6

263/3

270/2

274

275/3

265

(2)

1.195

0.040

0.024

0.959

0.162

0.299

0.101

0.073

0.725

1.112

1.011

0.709

0.024

0.089

0.462

0.486

0.283

0.688

0.227

0.089

0.987

0.539

0.199

0.397

0.886

0.337

0.396

0.116

0.654

0.170

0.397

0.198

0.198

0.405

0.007

0.295

0.486

0.660

कुआ कच्चा-01

कुआ कच्चा-01

कुआ कच्चा-01

आम-02

(1)	(2)	(1)	(2)
266	0.299	297	0.219
267	0.162	298	0.445
268	0.473	299/2	0.259
269	1.630	443	0.624
275/2	0.049	444	0.016
270/3	0.397	445	0.470
270/4	0.405	447	1.542 चार-01
276	1.688	448	0.704 सागौन-04
450/7	0.877	449	1.019
279/2	0.081 कुआ कच्चा-01	450/3	0.667 चार-01
282/1	0.490	450/4	0.162
285/1	2.237	450/8	2.023
284/1	0.486	450/10	1.315 कुआ पक्का-01
275/1	0.599	450/11	0.668
	कुआ कच्चा-01, आम-02	450/12	0.668
277	1.153 महुआ-01	450/13	0.668 चार-03
278	0.547	450/9	0.505
280	0.926 कुआ कच्चा-01	450/14	0.506
281	0.417	450/15	0.506
294	0.413	450/16	0.506 चार-04
440	0.757		योग . . 63.833 हे कटे यर एवं
450/5	0.154		प्रस्तावित क्षेत्रफल
442/1	1.658		पर आने वाली
442/2	0.405		संपत्तियां=कुआ=
450/6	0.081		10, वृक्ष=18.
282/2	1.142 कुआ कच्चा-01	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
283/1	0.418	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
283/2	0.549	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
284/2	0.097		
285/2	1.011		
287/3	0.887		
292/3	0.338		
287/5	0.890		
292/5	0.337		
295/1	0.203		
295/2	0.203		
295/3	0.314		
296	0.255		

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6136-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—धाधरा, प.ह.नं. 36, ब. नं. 140,
रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —72.229 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

92

0.259

93/2

0.028

93/4

0.061

104

0.036

105

0.846

106

0.093

143

0.121

103

0.227 कुआ पक्का-01

142

0.437

144

0.049

145

0.304 महुआ-05

146

0.481 चार-06

150/2

0.243

93/5, 101

0.291 कुआ कच्चा-01

100/2

0.304

100/7

0.121

147/3

0.425

93/6

0.202

195/1

0.396

(1)

(2)

95

0.227

174/4

0.692

285/9

0.809

96

0.150

97/2

0.373

97/3

0.648

195/2

0.809

97/4

0.045

98/1

0.030

172/1

0.642

173/1

0.162

163/1

0.148 कुआ कच्चा-01

168/1

0.027

169/1

0.055

171/3

0.055

171/5

0.012

166

0.721

167

0.437

98/2

0.029

172/2

0.641

173/2

0.162

163/2

0.148

168/2

0.027

169/2

0.044

98/3

0.029

172/3

0.640

173/3

0.162

171/2

0.413

98/4

0.029

172/4

0.643

173/4

0.162

163/3

0.149

168/3

0.027

169/3

0.056

170

0.603

मकान-01, कुआ कच्चा-01, चार-04

171/4

0.607 महुआ-02

99/2

1.214

(1)	(2)	(1)	(2)
100/1	0.283	190	0.202
100/6	0.121	174/3	0.607
147/1	0.668	183	1.805
100/3	0.324	184	1.003
100/8	0.113	185	0.769
147/4	0.696	187	0.129
100/4	0.425	189	0.874
100/5	0.445	192	0.223
147/2	0.829	193	2.229
151/2	2.023	306/1	2.429 आम-01
100/9	4.522	306/2	3.793 महुआ-03
102/2	0.809	307/1	1.735 चार-01
140	1.157	186	0.534
148	0.886	285/2	0.129
149	0.749	306/3	0.649
151/1	0.405	307/2	0.160 आम-01
191/2	0.049	306/4	0.565 महुआ-03
191/3	0.526	307/3	0.280 चार-06
151/3	2.023	97/6	0.162
158	0.069	195/3	0.243
159	0.077	94/1	0.243
162	0.271	94/2	0.235
164	0.979 मकान-04	97/1	0.234
165	0.413	97/5	0.202
152	1.846	योग . . .	72.229 हे कटे यर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां=मकान = 05, कुआ=05, वृक्ष=60.
153	0.821		
154	0.081		
155	0.405		
156/2	0.636		
156/3	2.023	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
157	0.983		
177/1	0.421		
160	1.562 चार-14		
161	2.286		
	कुआ कच्चा-01, महुआ-14	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
175	2.622		
177/3	1.538		
178	0.833		
181	1.125		

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।	(1)	(2)	
	251/1	0.089	
	240/2	1.000	महुआ-02
	246/2	0.015	कुआ कच्चा-01
	259/3	2.890	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।	246/3	4.211	कुआ पक्का-01
	246/4	0.565	
	246/5	0.360	
	246/6	0.405	
	249/1	0.526	महुआ-02, चार-07
	249/6	0.720	
	249/7	0.719	
	249/12	0.607	
	254/5	0.045	
	255/2	0.092	
	249/8	0.478	
	254/1	0.141	
	249/9	0.363	
	254/2	0.109	
	254/3	0.081	
	232/3	0.304	
	249/10	0.304	
	249/13	0.447	
	253/1	0.242	
	255/3	0.095	
	250/2	1.651	कुआ कच्चा-01
	251/2	0.870	
	236/2	0.219	तिनसा-15
	238/2	0.554	
	247/6	0.196	
	252/2	0.077	कच्चा मकान-01, कच्चा कुआ-01, महुआ-01, सागौन-01.
	236/5	0.219	
	252/3	0.077	
	238/4	0.554	
	247/7	0.196	
	252/5	0.109	
	235/2	0.081	
	236/3	0.219	कच्चा मकान-01, तिनसा-10 बेर-01
	237/1	0.502	निलगिरी-02
	238/3	0.356	बबूल-01
	254/4	0.074	
क्र. 6137-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—छिन्दवाड़ा			
(ख) तहसील—अमरवाड़ा			
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—लछुआ, प.ह.नं. 36, ब. नं. 254, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-2.			
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —82.837 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.			
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
3/1	5.532		
5	1.052		
210	1.590		
211/1	1.274	252/2	0.077
211/2	0.243	236/5	0.219
211/3	0.243	252/3	0.077
211/4	0.243	238/4	0.554
211/5	0.243	247/7	0.196
211/6	0.243	252/5	0.109
233/2, 234/3, 247/2, 248/2, 249/4, 253/2	2.468	235/2	0.081
257/3	0.336	236/3	0.219
240/1	0.813	237/1	0.502
246/1	1.000	238/3	0.356
250/1	0.770	254/4	0.074

(1)	(2)	(1)	(2)
255/1	0.096	272	0.523 चार-01
247/1	0.047	273	1.056
248/1	0.142	231	0.458
249/15	0.570	232/1	0.486
257/1	0.336	234/1	0.061
235/1, 238/1, 247/5,	2.469	249/2	3.460
248/3, 249/18, 253/5		236/4	0.013
257/2	0.635	237/3	0.125
258	0.526	247/4	0.027
260	0.364	249/14	1.127
266	0.235	235/4	0.162 बेहडा-01
261/1	1.210	236/1	0.013 सागौन-03
	कुआ पक्का-01, महुआ-03	237/1	0.126
262/1	1.469 चार-04	247/3	0.027
261/3	0.500	248/3	0.101
262/3	0.500	249/11	0.963
261/2	1.214	274	2.016
	चार-02, महुआ-01, आम-01	230/2	1.579
262/2	0.129	172/5	0.016
263/1	1.376		कच्चा कुआ-01, चार-05, साज-01
	चार-10, महुआ-12, आम-02	235/3	0.081
264/1	2.395 महुआ-02		बांस-03, महुआ-01
263/2	1.130 चार-02	236/6	0.219
264/2	1.719 महुआ-10		बबूल-04, जाम-01
263/3	0.405 कच्चा कुआ-01	237/2	0.501
264/3	0.809		आम-02, तिनसा-02
263/4	0.344 कच्चा कुआ-01,	238/5	0.357 पीपल-01
264/4	0.870		योग . . . 82.837 हे कटे यर एवं
263/5	0.324		प्रस्तावित क्षेत्रफल
264/5	0.162		पर आने वाली
265/1	3.480 महुआ-07		संपत्तियां=मकान=
268/14	1.356 चार-03,		03, कुआ=10,
265/2	0.688		वृक्ष=148.
268/7	0.971		
268/9	0.202	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
267/1	1.610	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
	कच्चा कुआ-01, चार-05, महुआ-02		
267/2	1.845		
268/4	0.475 महुआ-08		
268/8	0.477 चार-02		
268/6	0.016		
269	0.583		
	मकान-01, कच्चा कुआ-01		
271	0.849 महुआ-04		

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1) 4/3 5/2, 10/1 5/6 9/12	(2) 0.201 0.270 0.345 0.829	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	4/4, 5/3, 10/2 5/7, 9/1 9/11 9/16 5/8, 6/1	0.545 0.303 0.585 0.262 0.585	कुआ कच्चा-01

क्र. 6138-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—मन्दानगढ़, प. ह. नं. 38, ब. नं. 223, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-2.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —110.849 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
1	0.279		
3/2	2.023	अचार-02, भिलमा-02	
2/1	0.900		
2/2	0.302		
4/1	0.232		
5/4	0.465	अचार-01, महुआ-01	
8	0.260		
9/18	0.242	महुआ-01	
4/2	0.244		
5/1	0.121		
5/5	0.465	कुआ कच्चा-01	
9/10, 10/4	0.705	मकान कच्चा-01	
9/17	0.284		

	9/6	0.555	अचार-03, महुआ-02, सागौन-04 कुआ कच्चा-01
	9/7	0.405	
	9/14	0.161	
	5/9, 6/2	0.685	
	5/14	0.041	महुआ-01
	9/5	0.161	
	9/9	0.958	
	5/10, 7/1	0.507	
	5/13, 9/4	0.586	अचार-05, महुआ-03
	9/8	0.566	महुआ-3, नींबू-01, जाम-05
	9/13	0.161	
	5/11, 7/2	0.257	अचार-02
	5/12, 9/3, 10/3	1.259	कुआ कच्चा-01, अचार-03, महुआ-01
	9/15	0.161	
	5/15, 7/3	0.257	
	11/1	0.809	
	18/3	0.672	
	11/2	1.389	मकान कच्चा-01, महुआ-02,
			अचार-02, महुआ-04, कहुआ-02
	11/3	0.576	
			मकान कच्चा-01, कुआ कच्चा-01, आम-01, अचार-01
	12/6	0.121	
	12/7	0.101	
	12/8	0.128	
	11/4	0.405	
			पलास-01, बैर-01, अचार-01
	12/1	0.121	
	17/10	0.008	
			अचार-01, महुआ-01, सेमर-01

(1)	(2)	(1)	(2)
18/2	0.400	31/1	0.016
18/5	0.430		आचार-04, महुआ-02
22/1	0.339	32/1	0.401
	कुआ कच्चा-01	33/8	0.138
11/5, 12/5	1.000	33/9	0.792
	आम-03, तिनसा-08, जाम-04,	33/6	0.429
	साज-03	19/1	1.541
17/6	0.008		महुआ-09, अचार-02, भिलमा-02
18/4	0.435	33/7	0.502 अचार-5
11/6,12/9	0.212	33/10	0.308
12/3	0.229	19/2	1.011 महुआ-01
12/4	0.060	31/3	0.340
18/1	0.400	31/4	0.506
12/2	0.405	33/14	0.323 बरगद-01
17/3	0.261	72/6	0.970
17/5	0.073	20/1	0.945
13	0.206		महुआ-02, अचार-04
25/1	0.540	21	0.729
33/3	0.089		महुआ-03, अचार-07
81	0.121	20/2	0.382
82	0.040	31/7	0.708
14/1	0.074	33/11	1.113
	कुआ पक्का-01, आम-02,	72/7	0.312
	अचार-01, महुआ-01	22/2	0.356
23/1, 24/1	0.186		महुआ-04, अचार-10
14/2	0.148 कुआ कच्चा 01	23/2, 24/3	0.607
14/3	0.073		कुआ कच्चा-01, अचार-03
17/2,17/11, 23/3, 24/4	0.388	25/3	0.556
15	0.332		अचार-02, महुआ-01
	महुआ-02, आम-01, अचार-02	83/1	0.308
	भिलमा-01	26	1.072
16	0.340		कुआ कच्चा-01, आम-02,
	आम-02, अचार-04, महुआ-02		गुरार-01, बेर-01
17/4	0.324 अचार-02	29	0.526
25/2, 30	1.582	78	0.445
	कुआ कच्चा-01, अचार-02	79	0.251
27/1	0.032	27/2	0.777
33/2	0.073		कुआ कच्चा-01, मोयन-01, आम-02,
33/12	0.607		जामुन-01, महुआ-01
17/8	1.619 महुआ-01	28/1	0.563
22/3	0.061	28/2	0.030 आम-03
80	0.825 कुआ कच्चा 01	65/2	0.012
17/9	0.195	31/5	0.210
24/2	0.473		कुआ पक्का-01
	कुआ पक्का-01, आम-02, महुआ-01		

(1)	(2)	(1)	(2)
33/16	1.982	68/3	0.190
33/4	0.138	69/14	0.550
65/3	0.004	76/4, 77/5	0.361
31/6	0.616	68/2	0.190 आम-01
33/5	0.276	69/8	0.550
33/15	1.112		महुआ-03, अचार-12
72/1	0.405	76/3, 77/3	0.400
	महुआ-01, अचार-01	69/2	0.900
72/5	1.120		कुआ पक्का-01, सागौन-08,
	महुआ-02, अचार-02		आम-03, जाम-03, अचार-01,
75/6	0.049		जामुन-01, कटहल-01
33/13	0.567	69/3	0.700
65/4	0.020		कुआ कच्चा-01
68/1	0.389	69/4	0.700
69/1	0.404		कुआ पक्का-01, महुआ-01
	कुआ कच्चा-01, महुआ-01		आम-01, भिलमा-01
65/5	0.025	69/5	0.623
69/6	0.160	74/1	0.551 महुआ-01
69/7	0.365	69/9	0.160
74/2	0.174		कुआ पक्का 01, महुआ-01
	भिलमा-01, अचार-02	69/10	0.382
75/7	0.154	75/8	0.097
66	0.914	69/11	0.383
	मकान कच्चा-01	70	0.275
127/1 च	0.101	72/2	0.900
67/1	1.003		मकान कच्चा-01, कुआ कच्चा-01
67/2	0.105		महुआ-01
75/2	0.287	72/3	0.405
	कुआ कच्चा-01, भिलमा-01		महुआ-01, अचार-02
	अचार-01, महुआ-01	72/4	0.750
76/1	0.081		महुआ-02, अचार-02
77/1	0.250	75/3	0.174
67/3	0.344	75/4	0.008
	सागौन-20, आम-30, आंवला-150	77/4	0.341
69/12	0.805	83/2	0.307
67/4	0.344	84/1	0.415 अचार-02
	मकान कच्चा-01, सागौन-100,	84/3	0.201
	आम-165, नींबू-04 बादाम-02,	84/12	0.161
	नारियल-05, आम-07, जामुन-03	103/3	0.506
69/13	0.804	84/4	0.302
	भिलमा-01, अचार 01	84/10	0.181
73/1	0.445	84/13	0.160
73/2	0.231	103/2	0.385
75/5	0.097	85/1	0.270
76/2, 77/2	0.575		

(1)	(2)	(1)	(2)
85/4	0.270	98/3	0.367
85/5	0.270	99	0.577 आम-01
85/6, 85/7	0.270	100/1, 109/3	0.735
85/8	0.270	1002/2, 109/13	0.405
84/6	0.282	100/3, 109/14	1.011
84/9	0.282 अचार-01	85/2	1.189
84/15	0.153	85/3	0.324
84/7	0.546 अचार-01	100/4, 109/15	0.405
84/14	0.101 अचार-01	100/5, 109/16	1.011
84/8	0.283		अचार-10, भिलमा-02
88/2	1.214		
103/1	0.404	101/1 क, 105/1क	0.749 महुआ-01
	महुआ-02, अचार-02	101/4, 105/4	0.243
84/5	0.322	101/14, 105/15	0.064
89/1	0.040	101/1 ख	0.270
90/1	0.202		कुआ कच्चा-01
102/1	0.534	101/23, 105/24	0.202
89/2	0.081	101/1 ग	0.269
90/2	0.040	101/1 घ	0.270 सागौन-01
102/2	0.103	101/2	0.081 अचार 01,
84/11	0.381		महुआ-02
96/2	0.829		
89/4	0.053	105/2	0.628
	महुआ-01, अचार-02	101/19, 105/20,	0.507
90/4	0.178	101/22, 105/23	
102/4	0.231	101/3	0.081
89/5	0.040	105/3	0.632
	कुआ कच्चा-01, महुआ-03, अचार-05	105/14	0.405
90/5	0.243	101/5	0.283 पीपल-01
	नीबू-01, आम-02	105/5	0.445
102/5	0.227	116/3	0.146
89/3	0.243	101/6	0.142 अचार-04,
90/3	0.607		महुआ-01
	महुआ-04, अचार-04	105/6	0.404
102/3	1.214	101/8	0.121
93/1, 94/1	0.112	105/8	0.162
97/2	0.008	101/10	0.105
98/2	1.000		
93/2, 94/2	1.300		कुआ कच्चा-01
	महुआ-01, अचार-01	105/10	0.753
95	0.219 महुआ-01	109/11	0.097
96/1	0.186	101/7	0.162 अचार-04,
97/3	0.131 अचार-03		महुआ-01
98/1	0.367	105/7	0.142 बरगद-1

(1)	(2)
101/11	0.081
105/11 ख	0.403
116/5	0.069
101/9	0.081
105/9	0.923
101/17, 105/18	0.749
101/18, 105/19	0.064
101/21, 105/22	0.243
105/11 क	0.900
कुआ पक्का-01, आम-02,	
महुआ-01	
101/15, 105/16	0.749
101/16, 105/17	0.064
101/20, 105/21	0.243
101/13, 105/13	0.242
कुआ कच्चा-01	
101/12	0.121
कुआ कच्चा-01, जाम-02, नीबू-01,	
आम-01, केला-01	
105/12	0.057
116/2	0.016
104	1.141
योग . . .	110.849

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां—मकान-6,
कुआ-29, वृक्ष-796

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 30 मई 2013

प्र. क्र. 09-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुधनी
(ग) नगर/ग्राम—कुसुमखेड़ा

खसरा	रकबा
क्रमांक	(हेक्टर में)
(1)	(2)
12 में से	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारना परियोजना के तहत नहर विस्तारीकरण SM/M-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन, कार्यालय बुधनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 11 जून 2013

प्र. क्र. 08-2012-13-अ-82-807.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—बघरा साजौर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—4.02 हेक्टर.

सर्वे नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

202/मि-1 0.14

202/मिन-2 0.20

202/मिन-3 0.28

204 0.02

205/मिन-2 0.09

206 0.13

207 0.44

219 0.15

220 0.02

221 0.25

312 0.01

435 0.15

436 0.40

(1) (2)

438 0.15

445/मिन-2 0.06

452 0.02

453 0.09

455/1 0.14

455/2 0.04

470 0.03

471 0.11

607 0.12

608 0.08

1003/मिन-2 0.06

1003/मिन-3 0.06

1003/मिन-4 0.06

1004 0.08

1006 0.08

1010 0.04

1015 0.20

1018 0.12

1022 0.17

1023 0.03

योग. . 4.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 1 एवं 2 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-2012-13-अ-82-808.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		(1)	(2)
अनुसूची		1238	0.03
		1250	0.01
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय		1283	0.01
(क) जिला—शिवपुरी		1290	0.18
(ख) तहसील—करैरा		1291	0.01
(ग) नगर/ग्राम—सलैया		1292	0.12
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—8.33 हेक्टर.		1294	0.04
सर्वे नं.	अर्जित रकबा	1296	0.09
	(हे. में)	1297	0.15
(1)	(2)	1298	0.01
959	0.06	1306	0.14
1077	0.08	1308	0.02
1080/5	0.19	1309	0.14
1084	0.05	1310	0.11
1085	0.10	1344	0.23
1086	0.10	1345/1	0.07
1087	0.13	1349	0.26
1106	0.11	1354	0.06
1111	0.15	1355	0.10
1156	0.12	1356	0.13
1157	0.08	1360	0.11
1159	0.06	1372	0.04
1161	0.06	1374	0.03
1162	0.01	1375/2	0.04
1164	0.11	1376/1	0.03
1206	0.05	1376/2	0.08
1207	0.08	1378/1	0.10
1208	0.01	1387	0.08
1217	0.08	1389	0.39
1218	0.04	1394	0.11
1219	0.07	1395/मिन-1	0.10
1221	0.01	1395/मिन-2	0.02
1222	0.03	1401	0.21
1224	0.03	1402	0.06
1228	0.01	1403	0.05
1236/1	0.40	1404	0.01
1237	0.21	1406	0.06

(1)	(2)	प्र. क्र. 18-2012-13-अ-82-809.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
1409	0.14		
1410	0.03		
1411	0.04		
1412	0.05		
1413	0.01		
1460	0.09		
1477/1	0.02	अनुसूची	
1477/2	0.35		
1566	0.03	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	
1567	0.01	(क) जिला—शिवपुरी	
1609	0.09	(ख) तहसील—करैरा	
1610	0.16	(ग) नगर/ग्राम—टोडा पिछोर	
1611	0.01	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—5.82 हेक्टर.	
1612	0.13	सर्वे नं.	अर्जित रकबा
1616	0.11		(हे. में)
1633	0.05	(1)	(2)
1711/2	0.12	20	0.15
1741	0.01	26	0.05
1742	0.30	27/1	0.13
1746	0.07	27/2	0.22
1778	0.01	54/मिन-1	0.40
1796	0.08	58	0.45
1797	0.16	59/मिन-1	0.15
1798	0.01	60	0.02
1800	0.01	239	0.05
1809	0.02	240	0.12
1812	0.12	296	0.10
1813	0.05	309	0.14
1814	0.02	316/मिन-1	0.04
1815	0.17	316/मिन-4	0.19
	योग. . . 8.33	316/मिन-5	0.32
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 5,6,7,8,9 एवं 10 के नहर निर्माण हेतु.		318	0.01
		320	0.12
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.		336	0.02
		352	0.42

के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(1)	(2)	अनुसूची	
353/1/ मिन-1	0.13		
355/मिन-1	0.10		
358	0.40	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	
360/1	0.06	(क) जिला—शिवपुरी	
360/2	0.07	(ख) तहसील—करैरा	
362	0.52	(ग) नगर/ग्राम—सिरसौना	
363	0.27	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.26 हेक्टर.	
365/3/2	0.09	सर्वे नं.	अर्जित रकबा
365/3/3	0.21	(1)	(हे. में) (2)
365/3/5 मिन-1	0.12	2082	0.08
370	0.07	2084	0.17
580	0.05	2085	0.05
582/3	0.07	2106	0.11
588	0.07	2108	0.06
594/मिन-1	0.17	2110/मिन 1	0.01
594/मिन-2	0.08	2111	0.15
599	0.02	2116	0.22
600	0.15	2118	0.01
601	0.05	2120	0.10
893/मिन-4	0.02	2124	0.17
	योग. . <u>5.82</u>	2125/मिन-1	0.07
		2125/मिन-2	0.06
		योग. . <u>1.26</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 4 एवं 5 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-2012-13-अ-82-810.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की टेल माईनर के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 3626-अका-2013-विपप्र.—प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अगस्त, 2013 से आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

स. क्र.	प्रश्न-पत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)

दिनांक 5 अगस्त, 2013

1	प्रश्न-पत्र पहला— प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2	प्रश्न-पत्र पहला—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.	—तदैव—
3	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	प्रश्न-पत्र पहला —सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	प्रश्न-पत्र—विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	प्रश्न-पत्र दूसरा—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7	प्रश्न-पत्र दूसरा— सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
8	प्रश्न-पत्र —समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
60	प्रश्न-पत्र—भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
9	प्रश्न-पत्र पहला —प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)

(2)

(3)

दिनांक 6 अगस्त, 2013

- 10 प्रश्न-पत्र—सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
- 11 प्रश्न-पत्र—पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की (पुस्तकों सहित) —तदैव—
- 12 प्रश्न-पत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 13 प्रश्न-पत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 14 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये —तदैव—
- 61 प्रश्न-पत्र—विद्युत् संस्थापनाएं—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 15 प्रश्न-पत्र—पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
- 16 प्रश्न-पत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 17 प्रश्न-पत्र तीसरा— बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहायक संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. —तदैव—
- 18 प्रश्न-पत्र—समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 19 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 62 प्रश्न-पत्र—लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—

दिनांक 7 अगस्त, 2013

- 20 प्रश्न-पत्र तीसरा— प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
- 21 प्रश्न-पत्र—पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 22 प्रथम—वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये. —तदैव—
- 23 प्रश्न-पत्र पहला —प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये. —तदैव—

(1)	(2)	(3)
24	प्रश्न-पत्र— “व्यवहारिक परीक्षा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
63	प्रश्न-पत्र—स्विच गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
25	प्रश्न-पत्र—कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26	प्रश्न-पत्र प्रथम— दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
27	प्रश्न-पत्र—“पुलिस शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
28	प्रश्न-पत्र दूसरा— सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
29	प्रश्न-पत्र तीसरा—सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
30	प्रश्न-पत्र—स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
31	प्रश्न-पत्र चौथा —सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
32	प्रश्न-पत्र—समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
64	प्रश्न-पत्र—विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

दिनांक 8 अगस्त, 2013

33	प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
34	प्रश्न-पत्र प्रथम —लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
35	प्रश्न-पत्र प्रथम —लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
36	प्रश्न-पत्र—“न्यायिक शाखा” गृह (पुलिस) विभाग अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
37	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
38	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
39	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
40	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
41	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
66	प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
42	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
44	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
67	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

दिनांक 12 अगस्त, 2013

45	प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46	प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
47	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
49	प्रश्न-पत्र द्वितीय—मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
50	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
65	प्रश्न-पत्र दूसरा— दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
68	प्रश्न-पत्र तृतीय— महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
51	प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
52	प्रश्न-पत्र—लेखा प्रथम भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
53	प्रश्न-पत्र—सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54	प्रश्न पत्र तृतीय— प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
55	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
56	प्रश्न-पत्र—लेखा तथा प्रक्रिया -द्वितीय (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
57	प्रश्न-पत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
69	प्रश्न-पत्रचतुर्थ—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

दिनांक 13 अगस्त, 2013

58	हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.
----	--	--

नोट :—

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरे.
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स.-जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्हो, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 अगस्त 2013 तक भेजेंगे.
- जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.